रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2006/श्रावण 27, 1928
No. 192] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2006/SRAVANA 27, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

विषय : सिंगापुर से डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लाइसीन मिथाइल पोटाशियम डेन सॉल्ट (पीएचपीजी डेन सॉल्ट) के आयातों से संबंधित मामले में मध्यावधि पाटनरोधी समीक्षा जांच–अंतिम जांच परिणाम

क. मामले की पृष्ठभूमि :

सं. 15/13/2005-डीजीएडी.–चूंकि, वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमाबली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात् नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने दिनांक 24 जून, 2003 की अधिसूचना सं. 14/23/2002-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे जिनमें चीन जन. गण. तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लाइसीन मिथाइल पोटाशियम डेन सॉल्ट (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा की गई थी। अनंतिम जांच परिणाम दिनांक 1 अक्तूबर, 2002 को जारी किए गए थे और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क सीमाशुल्क अधिसूचना 124/2002 के द्वारा 11 नवम्बर, 2002 को अधिसूचित किया गया था ।

और, चूंकि, संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 24 जुलाई, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 117/2003-सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. चूंकि, नियमों में प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखने संबंधी जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है और यदि प्राधिकारी उनके द्वारा प्राप्त सकारात्मक सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसे शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार को इसे हटाने की

सिफारिश कर सकते हैं । उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत समीक्षा की जरूरत को प्रमाणित करने वाली सकारात्मक सूचना के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटन को निष्प्रभावी बनाने के लिए शुल्क को लागू रखना आवश्यक है, क्या यदि शुल्क को हटाया जाता है अथवा उसमें परिवर्तन अथवा दोनों किए जाते हैं तो क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी, बशर्ते कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने के समय से एक उचित समयावधि बीत गई हो ।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार उत्पादन और निर्यातक मै. कनेका सिंगापुर कार्पो., सिंगापुर (केएससी) ने लागू पाटनरोधी शुल्क की बदली हुई परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा के लिए अनुरोध दाखिल किया था ।

3. उत्पादक एवं सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक मै. केएससी, सिंगापुर ने बदली हुई परिस्थितियों में समीक्षा के लिए निम्नलिखित आधार सूचीबद्ध किए हैं :-

- भारत को केएससी की निर्यात कीमत में अत्यधिक कमी हुई है ।
- सीमाशुल्क को 35% से घटाकर 20% कर दिया गया है ।
- पाटन मार्जिन में अत्यधिक कमी हुई है और इसलिए मूल जांच में निर्धारित बेंचमार्क में तद्नुसार कमी की जानी चाहिए ।
- कच्चे माल की कीमत में अत्यधिक कमी, जिसके कारण सामान्य मूल्य में कमी आयी है, के मद्देनजर उत्पादन लागत में अत्यधिक कमी आयी है ।
- कंपनी द्वारा अर्जित किए गए लाभों में अत्यधिक कमी आयी है जो सामान्य मूल्य में कमी के समान होगी ।

4. बदली हुई परिस्थितियों जिनके कारण लागू उपाय की समीक्षा करना जरूरी हो गया है को दर्शाने वाली आवेदक द्वारा प्रदान की गई सकारात्मक सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना कि बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की उपर्युक्त नियम 2.3 के प्रावधान के अनुसार मध्यावधि समीक्षा करना उपयुक्त है । दिनांक 24.06.2003 की अधिसूचना सं. 14/23/2002-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात प्राधिकारी ने यह समीक्षा करने के लिए कि क्या पाटन को निष्प्रभावी करने के लिए सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएचपीजी डेन साल्ट के आयातों पर लागू शुल्क को जारी रखना आवश्यक है, क्या यदि शुल्क हटा लिया जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है अथवा दोनों किए जाते हैं तो क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी, नियमों के अनुसार जांच शुरू की ।

ख <u>प्रक्रिया</u>

5. इस जांच के संबंध में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण लिया गया है:

(i) समीक्षा शुरू करने के पश्चात प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए नियम 6(4)के अनुसार संबद्ध देश में निर्यातकों/उत्पादकों और भारत में घरेलू उद्योग को जांच शुरूआत अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजी थी;

(ii) संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास को नियम 6(2) के अनुसार इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रश्नावली का जवाब देने की सलाह दें, जांच शुरूआत के संबंध में सूचना दी गई थी ।

(iii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों एवं ग्राहकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं ।

(iv) जांच 01.04.2004 से शुरू होकर 31.3.2005 तक (पीओआई) की अवधि के लिए की गई थी । तथापि, क्षति की जांच वर्ष 2000-01 से जांच अवधि की समाप्ति तक की अवधि के लिए की गई थी ।

(v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था । तथापि, इस जांच में डीजीसीआईएंड एस की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया गया है क्योंकि यह देखा गया था कि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत निर्यातों की मात्रा, मात्रा के लिहाज से बहुत अधिक है ।

(vi) मै. कनेका सिंगापुर कार्पो. (केंएससी) और मै. कनेका जापान, जापान (केएनके) के अलावा अधिसूचना के संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है । जांच की बाद के चरणों में घरेलू उद्योग के अलावा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच शुरूआत के संबंध में किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रियाँ प्रस्तुत नहीं की है ।

(vii) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचारों और उनके द्वारा प्रस्तुत सभी निवेदनों पर उनकी संगत सीमा तक विचार किया है ।

(viii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा गया है ।

(ix) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई क्षति की जांच करने के लिए उनके द्वारा संभव सीमा तक जांच की थी ।

(x) प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध समीक्षा हेतु सहयोगी निर्यातक एवं आवेदक के आंकड़ों का भी सत्यापन किया था । सत्यापन के बाद सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति निर्यातकों के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी और प्राप्त टिप्पणियां अंतिम जांच परिणामों में शामिल की गई हैं । अगोपनीय सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सभी हितबद्ध पार्टियों के सूचनार्थ सार्वजनिक फाइल में भी रखी गई थी ।

(xi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों की मौखिक सुनवाई करने के लिए 19 जनवरी, 2005 को सार्वजनिक सुनवाई की जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनेधि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातक उपस्थित हुए थे । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर जांच से संगत समझी गई सीमा तक इन जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचार किया है । उपर्युक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का हितबद्ध पार्टियों को प्रकटन 17 जुलाई, 2006 को किया गया था और उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।

(xii) **** यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

ग. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

6. मूल जांच और इस मध्यावधि समीक्षा में शामिल उत्पाद डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल पोटेशियम (पीएचपीजी डेन साल्ट) है जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और आईटीसीएचएस वर्गीकरण की पहली अनुसूची के अध्याय 9 में शीर्ष सं. 2992.00 के अंतर्गत आता है । तथापि यह वर्गीकरण मात्र संकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है । डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल पोटेशियम (पीएचपीजी डेन साल्ट) (जिसे ऊपर उल्लिखित समानार्थी शब्दों के अनुसार पढ़ा जाएगा) अर्थात संबद्ध सामग्री (जिसे एतद्पश्चात पीएचपीजीडीसी कहा गया है) का अधिकांशत: भारत में आयात किया जाता है जिसे अमोक्सिलीन और सेफाड्रोक्सिल (अर्थात बल्क औषधियों) के उत्पादन हेतु विभिन्न आयातकों/विनिर्माताओं द्वारा परिवर्तित किया जाता है । यह परिवर्तन या तो पीएचपीजी/पीएचपीजीडीएस के विनिर्माताओं द्वारा या फिर प्रयोक्ताओं अर्थात अमोक्सिलीन आदि के उत्पादकों द्वारा किया जाता है ।

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई तर्क नहीं दिए गए हैं । जहां तक समान वस्तु का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी डेन साल्ट और संबद्ध देश से आयातित और बेची गई वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित पीएचपीजी डेन साल्ट भौतिक विशेषताओं, कार्यों एवं प्रयोगों, विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन, कीमत निर्धारण और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं । उपभोक्ता संबद्ध देश से आयातित पीएचपीजी डेन साल्ट और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी डेन साल्ट को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी डेन साल्ट को सिंगापुर (संबद्ध देश) से आयातित वस्तु के समान घरेलू वस्तु माना जाता है । किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है ।

घ. घरेलू उद्योग

8. मूल जांच में याचिका मै. दौराला आर्गेनिक्स लि. दौराला, मेरठ (उ.प्र.) द्वारा दायर की गई थी जिनका विलय अब मै. डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि. इकाई, दौराला आर्गेनिक्स, दौराला के साथ हो गया है । मै. डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि. यूनिट : दौराला आर्गेनिक्स, दौराला (जिसे दौराला आर्गेनिक्स भी कहा गया है) भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उन्होंने समीक्षा जांच का उत्तर घरेलू उद्योग के रूप में दिया है । अत: प्राधिकारी मानते हैं कि मै. डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि., यूनिट दौराला आर्गेनिक्स, दौराला (डीओएल या दौराला आर्गेनिक्स) घरेलू उद्योग हैं ।

ङ <u>विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क और प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

<u>घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे</u>

9. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि संबद्ध वस्तु डी (-) फिनाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन मिथाइल पोटेशियम डेन साल्ट के संबंध में मूल स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योकि इस मामले पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से जून, 2003 में जांच की गई थी । तब से प्रतिवादी कंपनी की स्थिति, जहां तक उनके प्रचालनों का संबंध है, खराब हुई है ।

10. क्षति विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता का पता चलता है अन्यथा पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना है । पहले ही प्रस्तुत क्षति विश्लेषण से उचित जांच में मदद मिलेगी और पीएचपीजीडीएस पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा के आकलन की आवश्यकता है जिसके संबंध में घरेलू उद्योग का तर्क है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि इस समीक्षा को शुरू किया जाए ।

11. अनुच्छेद 11.2 में पाटनरोधी शुल्क को लगाने की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित तत्व दिए गए हैं :-

(क) जहां आवश्यक हो, प्राधिकारियों द्वारा शुल्क लगाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी ।

(ख) ..... किसी हितबद्ध पक्ष के अनुरोध पर, जो समीक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है ।

(ग) ..... जहां, पाटन को प्रभावहीन करने के लिए शुल्क लगाना जारी रखना जरूरी हो ।

(घ) यदि शुल्क हटाया अथवा परिवर्तित किया जाता है अथवा दोनों स्थितियों में, क्या क्षति जारी रहने अथवा पुन: होने की संभावना है ।

12. पीएचपीजीडीएस के लिए मांग और आपूर्ति के संबंध में भारत में मौजूद बाजार दशाएं और घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति से शुल्क को लागू रखने की मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है । इसे बाद के पैराग्राफों में और अधिक स्पष्ट किया जाएगा ।

13. समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड इस बात से संबंधित है कि क्या यदि शुल्क हटाया या उसमें बदलाव या ये दोनों किए जाते हैं तो क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । अनुच्छेद 11.2 के अनुसार, समीक्षाएं भविष्य-सापेक्षी प्रकृति की होती है जिनमें यदि निश्चयात्मक शुल्क को हटाया जाए तो पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का पूर्वानुमान अपेक्षित होता है इसमें पाटित आयातों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के अनुमानित स्तरों के आधार पर परिकल्पित भावी घटनाक्रम का प्रति-तथ्यात्मक विश्लेषण शामिल होता है । समाधान किया जाने वाला प्रश्न यह होता है कि क्या यदि शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को पुन: क्षति होने के आसार हैं ।

14. घरेलू उद्योग का निष्पादन दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अब भी क्षति उठा रहा है और यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग के निष्पादन की स्थिति और खराब हो जाएगी ।

15. घरेलू उद्योग के आर्थिक निष्पादन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाने के लिए परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जो मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता दर्शाता हो क्योंकि यदि शुल्क हटाया या उसमें बदलाव या ये दोनों किए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होगी ।

16. केएससी ने पृष्ठ 9 में यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क की भारतीय नियमावली के नियम 23 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क हटाया जा सकता है/हटाया जाना चाहिए, यदि पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य न हो और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए यदि पाटन मार्जिन में कोई परिवर्तन या घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ हो । उनका यह दावा कि पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन या बेंचमार्क में मामूली परिवर्तन स्वयं ही समीक्षा के लिए पर्याप्त कारण हैं ।

17. केएससी का तर्क है कि उनके द्वारा किए जा रहे निर्यातों पर अग्रिम लाइसेंस के तहत किए जा रहे निर्यातों को छोड़कर, इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है । केएससी ने आगे अनुरोध किया है कि वे परिस्थितियां जिनमें ये शुल्क पहले लगाया गया था, काफी बदल चुकी हैं । केएससी ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है और जहां तक केएससी का संबंध है पाटनरोधी शुल्क को वापस लिया जाना चाहिए । तथापि, पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य न होने और इन्हें हटाये जाने की आवश्यकता के उनके दावों के संबंध में कोई वास्तविक आंकड़े, तथ्य या समंक नहीं दिए गए हैं और इसलिए उनका दावा तथ्यपूर्ण नहीं है । अत: इस स्थिति में मध्यावधि समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है ।

18. किसी मामले में यदि केएससी जैसाकि पृष्ठ 9 में दावा किया गया है केवल अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध सामग्री का निर्यात कर रहा है, तो प्रतिवादी को नोट करने में आश्चर्य है कि केएससी पर लागू पाटनरोधी शुल्क लगाया गया क्योंकि अग्रिम लाइसेंस के तहत निकासी की गई वस्तुओं पर मूल शुल्कों के साथ कोई पाटन शुल्क नहीं लगता है ।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, केएससी का वर्तमान तथ्यों तथा परिवर्तित परिस्थितियों पर किया गया अनुरोध केवल एक अभिमत है तथा किन्हीं तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित नहीं है । केएससी ने परिवर्तित परिस्थितियों के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिए वर्तमान जांच शुरूआत स्वत: ही ऐसी सकारात्मक सूचना पर आधारित नहीं है जो समीक्षा की आवश्यकता को ठोस रूप दे सके ।

20. यह आश्चर्य है कि केएससी ने यह दावा किया है कि केएससी द्वारा किए गए निर्यातों पर पाटन मार्जिन, निर्यात के पहुंच मूल्य तथा केएससससी के निर्यातों के संबंध में निर्यात कीमत जिसमें अत्यधिक गिरावट आ गई थी, दोनों के बावजूद न्यूनतम स्तर पर तथा इसीलिए बेंचमार्क को घटाया जाना चाहिए । केएससी के दावे पर माननीय प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयात को पहुंच मूल्य में अत्यधिक गिरावट आई है । इसका अर्थ यह है कि निर्यात कीमत में भी अत्यधिक गिरावट आई जिसे केएससी भी स्वीकार करता है । इस स्थिति में पाटन मार्जिन में वृद्धि होगी न कि गिरावट आएगी जैसा कि केएससी द्वारा दावा किया गया है ।

21. कनेका, सिंगापुर से पीएचपीजीडीएस की निर्यात कीमत में गिरावट आ रही है जो इस बात का पर्याप्त सबूत है कि अभी भी भारतीय बाजार में वस्तुओं का पाटन हो रहा है ।

22. केएससी ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने आईबीआईएस, मुंबई द्वारा संकलित आंकड़ों/सूचनाओं के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में सूचना एकत्र की है । केएससी ने निर्यात कीमत के संबंध में आंकड़ों का विश्लेषण किया है तथा दोनों पर्याप्त रूप से तुलनीय है । इसके अलावा, केएससी ने यह दावा किया है कि वे सिंगापुर से प्रासंगिक अवधि के दौरान भारत को पीएचपीजीडीएस के एकमात्र आपूर्तिकर्ता रहे थे और कीमतें उस कीमत की प्रतिनिधि थीं जिस पर भारत को वस्तुओं का निर्यात किया गया है ।

23. उत्तरदाता इस बात को नोट करते हुए आश्चर्यचकित हैं कि सिंगापुर से एकमात्र निर्यातक भारत में द्वितीयक अभिकरण आईबीआईएस द्वारा संकलित आंकड़ों पर आधारित, भारत में निर्यात कीमत का उल्लेख कर रहा है । केएससी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, यह प्रतीत होता है कि कंपनी ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार प्रासंगिक अवधि में किए गए वास्तविक निर्यात का उल्लेख नहीं किया है । यह भी आश्चर्यजनक है तथा आपत्तिजनक है कि निर्यातक देश के एकमात्र निर्यातक जो कि स्वयं आंकड़ों का सृजन करता है, द्वारा दायर किए गए आवेदन के मामले में द्वितीयक आंकड़ों पर निर्भर रह गया ।

24. निर्यातक स्वयं यह दावा कर रहा है कि अवधि के दौरान निर्यात कीमत में प्रभावी रूप से गिरावट आई । डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता द्वारा आपूरित आंकड़ों पर आधारित उत्तरदाता द्वारा संकलित निर्यात कीमत यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मूल जांच अवधि में 10332.65 अम.डा./मी.टन से वर्तमान जांच अवधि में 6891.56 अम.डा./मी.टन तक निर्यात कीमत में गिरावट आई है जो मूल जांच अवधि में निर्यात कीमत से 33.3% कम है । इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि पाटन मार्जिन में केएससी द्वारा दावा किए गए न्यूनतम स्तर की तुलना में कम से कम 35% की वृद्धि होगी ।

25. सीमाशुल्क वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए मूलभूत 35% से घटकर 20% हो गया । इसके परिणामस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का कमतर पहुंच मूल्य होगा । संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत में भी अत्यधिक गिरावट आई थी जिससे पहुंच मूल्य में और गिरावट आई । यद्यपि क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) भी बेहतर क्षमता उपयोग के कारण घट गई है तथापि, क्षति मार्जिन में पूर्ववर्ती जांच की तुलना में वृद्धि ही हुई । तद्नुसार पाटनरोधी शुल्क को आगे और बढ़ाया जाना चाहिए न कि शुल्क को समाप्त करना चाहिए जैसा कि केएससी द्वारा दावा किया गया है. ।

26. केएससी ने पाटन मार्जिन में कमी का दावा यह कहते हुए किया कि प्रस्तावित अवधि में उनकी निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से उच्चतर थी । उत्तरदाता यह नहीं समझ सका कि किस तरह से पाटन मार्जिन में कमी आएगी जबकि निर्यात कीमत पूर्ववर्ती जांच की अवधि में 33.3% से ज्यादा घट गई है जिसमें प्राधिकारी ने 8.07% के पाटन मार्जिन का निर्धारण किया था । केएससी ने हाल ही में यह उल्लेख किया है कि उनकी निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से उच्चतर है लेकिन यह नहीं उल्लेख किया है कि किस तरह से सामान्य मूल्य (33.3%,+8.07%) से अधिक घट गया है कि न्यूनतम स्तर के पाटन मार्जिन का दावा किया गया है ।

27. केएससी ने यह दावा किया है कि उनके उत्पादन की लागत में कुछ कच्चे माल की कीमतों में अत्यधिक गिरावट के कारण किरावट आई है । केएससी ने यह दावा किया है कि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में पिछले 4 वर्षों में 15% से भी अधिक की गिरावट आई । अनुबंध-9 का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कच्चे माल के 10 नगों की कीमतों में गिरावट वर्ष 2001 की तुलना में 2005 के दौरान 22% तक की वृद्धि हुई तथा केएससी के अनुबंध-9 में इंगित कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं है । अत: स्वयं केएससी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े केएससी के इस दावे का विरोधाभास है कि कच्चे माल की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई । इसके विपरीत, कच्चे माल की संख्या के रूप में कीमतों में अत्यधिक 52% तक की वृद्धि हुई । यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि पीएचपीजीडीएस के उत्पादन की लागत का प्रमुख संघटक पीएचपीजी बेस स्वयं है । पीएचपीजी के पूववर्ती अनुरोध में हमने पहले ही तथ्यों तथा आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध किया था कि पीएचपीजी बेस के उत्पादन लागत में वृद्धि कच्चे माल, विलायकों, प्रयुक्तियों, एचओ व्ययों के आबंटन से संबंधित लेखा नीति में परिवर्तन आदि के कारण अत्यधिक बढ़ गई थीं ।

28. यह एक सुविख्यात तथ्य है कि पिछले 1-2 वर्षों में कच्चे माल की कीमतें 2001 में 25 अम.डा./बैरल से हाल की अवधि में 70 अम.डा./बैरल जितनी अत्यधिक बढ़ गई हैं । इसके कारण न केवल विलायकों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है बल्कि प्रयुक्तियों की लागत भी अवधि के दौरान लगभग दुगुनी हो गई । यदि मजदूरी तथा अन्य ऊपरी व्ययों में 5% की मामूली वृद्धि को जोड़ा जाता है तो उत्पाद की लागत में कम से कम 10 से 15% की और वृद्धि हो जाएगी । व्ययों में 5% की मामूली सामान्य वृद्धि का दावा वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए केसी की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर इस उल्लेख के साथ और ठोस हो जाता है कि "बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक (एसजी एंड ए) व्यय *** मिलियन येन थे जो वर्ष दर वर्ष आधार पर ***% बढ़े।"

29. केएससी द्वारा पीएचपीजीबेस-पीएचटीएन के उत्पादन हेतु अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्री अपनी मूल कंपनी कनेका कारपोरेशन, जापान (केसी) से प्राप्त की जाती है जिसे बाद में पीएचपीजी बेस से पीएचपीजीडीएस में परिवर्तित किया जा रहा है। पीएचटीएन की लागत ही केएससी हेतु पीएचपीजी बेस की उत्पादन लागत के लिए एक प्रमुख लागत संघटक है। पीएचपीजी बेस की उत्पादन लागत में पीएचटीएन की लागत से सॉल्वेंट, उपयोगिता कीमत, श्रम लागत आदि में वृद्धि जैसे उपर्युक्त कारकों के कारण इस अवधि में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। प्राधिकारी को केसी द्वारा उत्पादित पीएचटीएन की लागत संरचना का ब्योरों की जांच करनी चाहिए और केसी से केएससी के लिए लागत संरचना तथा हस्तांतरण कीमत तंत्र का सत्यापन करना चाहिए। हम प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि वह इस बात की जांच करें कि क्या हस्तांतरण कीमत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय जैसे सभी ऊपरी खर्चे तथा केएससी को पीएचटीएन की बिक्री पर केसी को उचित लाभ भी शामिल है।

30. केएससी और केसी ने मध्यावधि समीक्षा हेतु अपने आवेदन के साथ कोई वार्षिक रिपोर्ट संलग्न नहीं की है। प्रतिवादी ने प्राधिकारी से पहले ही यह अनुरोध किया है कि निर्यातक को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत आंकड़ों के अन्य अगोपनीय सारांश के साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। प्रतिवादी ने वित्त वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए नेट से डाउन लोड की गई केसी की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण किया है। के एस सी की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है । केसी के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इन वर्षों के दौरान बल्क औषधियों तथा मध्यवर्ती उत्पादों के उत्पादन में कमी आई है। अतः उत्पादन की मात्रा में कमी आने के कारण यह स्पष्ट हो गया है कि घटे हुए उत्पादन पर निर्धारित ऊपरी खर्चे के मानकीकरण की वजह से उत्पादन की प्रति इकाई लागत में वृद्धि होगी।

31. लागत संरचना के अनुसार पीएचपीजीडीएस की कुल उत्पादन लागत की लगभग 85% लागत कच्ची सामग्री की है, 4 से 5% उपयोगिता लागत तथा शेष ऊपरी खर्चे, बिक्री, सामान्य प्रशासनिक व्यय आदि हैं। यदि तर्क के तौर पर केएससी के इस दावे को मान भी लिया जाए कि कुछेक कच्ची सामग्रियों की कीमत में 15% की भारी कमी आई है तो भी कुल उत्पादन लागत में समग्र प्रभाव 5-10% से अधिक नहीं हो सकता। यह सच है कि निर्यात कीमत में 33% से अधिक की कमी आई है, तब भी कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि पाटन मार्जिन कम हो जाएगा।

32. स्वयं केएससी द्वारा दावा किए गए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर पाटन मार्जिन में भारी वृद्धि हो रही है। तदनुसार प्राधिकारी से हमारा विनम्र निवेदन है कि पाटन मार्जिन और शुल्क के स्तर को बढ़ाया जाए। यह भी स्पष्ट है कि केएससी से निर्यात की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है और दूसरी ओर निर्यात कीमत में 33% से अधिक की कमी आई है। इससे इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि अग्रिम लाइसेंस के जरिए पाटन में वृद्धि हुई है और यदि शुल्क स्माप्त कर दिया जाता है तो सिंगापुर का निर्यातक भारतीय बाजार में अपनी समस्त वेशी मात्रा का निश्चित रूप से पाटन कर देगा।

33. केएससी का न्यूनतम से कम पाटन मार्जिन का दावा तथ्यों से परे है और उक्त तथ्यों के आलोक में डीओ द्वारा सविनय अनुरोध किया जाता है कि केएससी के मामले में पाटन मार्जिन बढ़ाई जाए तथा शुल्क के मौजूदा स्तर में भी वृद्धि की जाए।

34. चूंकि केएससी ने वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई हैं, अतः प्रतिवादी केएससी की लाभप्रदता पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। इसके विपरीत केसी, जापान की वार्षिक रिपोर्ट में पितृ कम्पनी के लाभ में वर्ष 2002-03 में ***% से वर्ष 2003-04 में ***% और वर्ष 2004-05 में ***% लगातार वृद्धि दर्शाई गई है। तदनुसार संरचित सामान्य मूल्य की संरचना करते समय समुचित लाभ में पुनः वृद्धि होगी, न कि कमी, जैसा कि केएससी का दावा है। केएससी का यह कहना है कि कनिका की निर्यात कीमत उत्पादन लागत से अधिक है और कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के स्तर में गिरावट आई है, परस्पर विरोधी है। यदि पहले वे उत्पादन लागत से कम पर बिक्री करने में तो उन्हें घाटा होना चाहिए था और जब निर्यात कीमत उत्पादन लागत से अधिक हो गई है, जैसा कि उनका दावा है, तो मुनाफा भी बढ़ना चाहिए था, जो उनके इस तर्क कि मुनाफा कम हो गया है, के सर्वथा विपरीत है। इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय बाजार में वस्तुओं के पाटन के उद्देश्य से उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं।

35. केएससी ने दावा किया है कि सीमाशुल्क में उल्लेखनीय कमी और कच्चे माल की कीमतों में कमी के परिणामस्वरूप निर्यात कीमतों में आई गिरावट के कारण यह स्पष्ट है कि समीक्षा की आवश्यकता है। पाटन मार्जिन में कमी के रूप में निर्यातक को सहायता हेतु उपर्युक्त दो आधारों को बदली हुई स्थितियों में अनुकूल आधार नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत इन दो आधारों के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति बदल गई है और पहुंच मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप क्षति की मार्जिन अधिक हो गई है। तदनुसार जहां तक निर्यातक का प्रश्न है, उपर्युक्त दो आधार, जिसके आधार पर प्राधिकारी द्वारा मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत की गई है, सकारात्मक परिवर्तन कदापि नहीं हैं।

36. केएससी ने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा चीन, बांग्लादेश, इण्डोनेशिया, ईरान, इटली, स्पेन, थाइलैंड तथा वियतनाम को पीएचपीजीडीएस का निर्यात किया जाता है। चूंकि केएससी ने प्रश्नावली का विधिवत सूचीबद्ध गैरगोपनीय पाठ प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्रतिवादी अन्य तीसरे देशों को किए गए निर्यात का ब्यौरा जान पाने की स्थिति में नहीं है। कनिका द्वारा चीन, बांग्लादेश, ईरान, थाईलैंड एवं वियतनाम के संबंध में बिक्री कीमत संरचना प्रस्तुत की है और यह दावा किया है कि निर्यात कीमतों की तुलना स्पेन इटली तथा इण्डोनेशिया की कीमतों से नहीं की जा सकती। प्रतिवादी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से याचिकाकर्ता को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि जांच अवधि के दौरान तीसरे देश को किए गए निर्यात का सारगर्भित तथा विधिवत सूचीबद्ध गैरगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया जाए, ताकि घरेलू उद्योग द्वारा इसके बारे में सार्थक प्रस्तुतिकरण किया जा सके।

37. केएससी ने तीसरे देश को किए गए आयात की बिक्री कीमत में *** मार्क दर्शाते हुए गैरगोपनीय सारांश अनुबंध-II में प्रस्तुत किया है। अनुबंध-II से यह प्रतीत होता है कि केएससी ने केवल बांग्लादेश, चीन, ईरान, थाइलैंड और वियतनाम के संबंध में ही निर्यात जानकारी प्रस्तुत की है। केएससी ने स्पेन, इटली तथा इण्डोनेशिया के बारे में निर्यात जानकारी नहीं की है। इससे ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता (केएससी) ने प्रश्नावली में यथानिर्धारित प्रारूप तथा तरीके से प्राधिकारी को पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की है और प्राधिकारी से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। अतः केएससी के संपूर्ण प्रस्तुतिकरण को इस आधार पर अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

38. केएससी ने बार-बार यह दावा किया है कि जांच अवधि में भारत की निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से अधिक रही है। कच्चे माल की कम कीमतों के आधार पर उत्पादन लागत कम होने का केएससी का दावा तथ्यों से परे है। इसके विपरीत प्रतिवादी ने तथ्यों से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रमुख कच्ची सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हई है और कतिपय कच्ची सामग्रियों की कीमत में यह वृद्धि तुलनात्मक रूप से कुछ कच्ची सामग्रियों की कीमत में कमी से अधिक है। कच्चे माल की अधिक कीमतों, सॉलवेंट की कीमतें अधिक होने, अपरिष्कृत तेल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उपयोगिता लागत अधिक होने, क्षमता उपयोग कम होने, ऊपरी व्यय में सामान्य वृद्धि, लेखांकन नीति में परिवर्तन के मद्देनजर पितृ कंपनी के व्यय के अनुषंगी कंपनियों को आवंटन के साथ-साथ केसी की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित एसजीएण्डए में ***% वृद्धि से संरचित सामान्य मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन भी अधिक होगा।

39. प्रतिवादी ने अपने दिनांक 15 दिसंबर, 2005 के गोपनीय प्रस्तुतिकरण में सिंगापुर से पीएचपीजीडीएस का निर्यात कीमत रूख (पृष्ठ 9 पर भाग-1 में मद सं.6 देखें) प्रस्तुत किया है। वित्तीय वर्ष 1998-99 के बाद पिछले 7 वर्षों में कीमत के रूख में लगातार कमी आई है और पीएचपीजीडीएस की कीमत वित्तीय वर्ष 1998-99 में ****5 अम. डॉलर/मी. टन से घटकर वर्तमान जांच अवधि के दौरान ****अम. डॉलर/मी.टन रह गई है, अर्थात वित्तीय वर्ष 1998-99 से लगभग 42.9% की कमी आई है। निर्यातक का यह दावा है कि कच्चे माल की कीमत में गिरावट के कारण उत्पादन लागत कम हो जाने से कीमत कम हो गई है, केएससी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। केएससी के स्वयं के दावे के अनुसार कुछ कच्ची सामग्रियों की कीमत में कमी ****% हुई है (हालांकि इसका अनुबंध-9 से मिलान नहीं किया गया है), जबकि प्रमुख कच्ची सामग्रियों की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो ****% तक है। तदनुसार निर्यात कीमत में और अधिक कमी की संभावना का केएससी का दावा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है।

40. केएससी का यह दावा है कि प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान वास्तविक पाटन मार्जिन और कीमतों के वर्तमान रूख को देखते हुए पाटन जारी रहने अथवा पुनः होने की कोई संभावना नहीं है, तथ्यों से परे है। इसके विपरीत प्रतिवादी ने सिद्ध कर दिया है

कि पीएचपीजीडीएस के **** अम. डॉलर/मी. टन की निर्यात कीमत के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण किया था और पीएचपीजीडीएस के **** अम. डॉलर/मी. टन की वर्तमान कीमत के रूख को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पाटन लगातार बढ़ रहा है और यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाए तो इसके जारी रहने अथवा पुन: होने की संभावना है।

41. केएससी द्वारा पीएचपीजीडीएस का निर्यात बांग्लादेश, चीन इंडोनेशिया, ईरान, इटली, स्पेन, थाइलैंड और वियतनाम को किया जा रहा है। तथापि कनिका ने बांग्लादेश, चीन, ईरान, थाइलैंड और वियतनाम के संबंध में अनुबंध II के रूप में निर्यात कीमत की केवल अगोपनीय बिक्री कीमत संरचना प्रस्तुत की है और जांच अवधि के लिए तथा पिछले दो पूर्ववर्ती वर्षों के लिए उसका सूचीकरण नहीं किया है। विभिन्न देशों के लिए बिक्री कीमत संरचना हेतु सार्थक सूचीकृत आंकड़ों के अभाव में प्रतिवादी उन पर टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं हैं।

42. केएससी ने दावा किया है कि विभिन्न देशों को निर्यात की कीमत तुलनीय है और विभिन्न देशों को निर्यात की कीमत के बीच कोई भारी अथवा चिंताजनक अंतर नहीं है। दूसरी ओर पृष्ठ 12, मद सं. 2.2 पर केएससी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के लिए कीमतों की तुलना स्पेन, इटली तथा इंडोनेशिया के लिए कीमतों के साथ नहीं की जा सकती जोकि स्वयं केएससी के इस दावे के प्रतिकूल है, विभिन्न देशों को निर्यात के बीच कोई भारी अथवा चिंताजनक अंतर नहीं है।

43. रोचक तथ्य यह है कि केएससी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि विभिन्न देशों को निर्यात किसी खास वित्तीय घाटे पर नहीं किए गए हैं जिससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि केएससी द्वारा भारतीय बाजार में पीएचपीजीडीएस का पाटन किया जा रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई जा रही है और यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो केएससी द्वारा पाटन की मात्रा और बढ़ा दी जाएगी तथा घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

44. इस पैराग्राफ में केएससी ने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में प्रतिवादी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया है। केएससी ने स्वीकार किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बाद घरेलू बाजार में निर्यात उतारे जाते हैं तो सबद्ध सामग्री भारतीय उपभोक्ता को 13.87 अम. डॉलर/कि.ग्रा. की बैचमार्क कीमत पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो घरेलू उद्योग भी 13.87 अम. डॉलर/कि.ग्रा. से अधिक/ उसके बराबर कीमत अर्थात मूल याचिका में विस्तृत जांच के बाद माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई बैंचमार्क कीमत वसूल करने स्थिति में होगा और इस कीमत पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होगी। अग्रिम लाइसेंस के जरिए केएससी से हुए पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ है और इस प्रक्रिया में क्षति अभी भी जारी है। केएससी ने दावा किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बैंचमार्क कीमत काफी अधिक है

जिससे घरेलू उद्योग को अत्यधिक असामान्य लाभ प्राप्त होना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति के आधार पर 16.16 अम. डॉलर/कि.ग्रा.की क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। तदनुसार घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए घरेलू उद्योग को 16.16 अम. डॉलर/कि.ग्रा. की कीमत प्राप्त होनी चाहिए थी जिसे घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण प्राप्त नहीं कर सका।

45. घरेलू बाजार में बिक्री प्रक्रिया ऐसी है कि पीएचपीजीडीएस की मांग का एक बड़ा हिस्सा उन वास्तविक प्रयोक्ताओं/निर्यातकों की ओर से उत्पन्न होता है जो अग्रिम लाइसेंस धारक हैं और वे पाटित कीमतों पर विदेश से सामग्री की खरीद करने में समर्थ हैं।

46. आश्चर्यजनक विलक्षणता को आगे इस तथ्य द्वारा आंका जा सकता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी कीमत पर पीएचपीजीडीएस का उत्पादन कर पाया है, तथापि वह भारत के अग्रिम लाइसेंस धारकों को सामग्री की बिक्री नहीं कर पाया है क्योंकि सिंगापुर से पाटित कीमतों पर सामग्री का आयात किया जाता है। अत: केएससी जैसे स्त्रोतों से पाटित कीमतों के कारण घरेलू उद्योग गैर क्षतिकारक कीमत पर अग्रिम लाइसेंस धारक स्थानीय निर्यातकों को पीएचपीजीडीएस की बिक्री करने से बाधित हुआ है। अत:, पाटन और घरेलू उद्योग को लगातार हुए घाटों के बीच सुदृढ़ कारणात्मक संबंध है।

47. अपने दिनांक 15 दिसंबर 2005 के गोपनीय प्रस्तुतीकरण में घरेलू उद्योग ने पहले ही कारणात्मक संबंध के साक्ष्य का विवरण विस्तारपूर्वक दिया है। संक्षिप्तता के लिए उसे यहां दोहराया नहीं गया है। प्रकटन विवरण के अनुवर्ती घरेलू उद्योग ने इस जांच में स्वयं द्वारा पूर्व में किए गए निवेदन को दोहराया है और उन्होंने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम निकालने के पूर्व मुद्दों की जांच करने को कहा है।

घ. <u>निर्यातक द्वारा उठाए गए मुद्दे</u> :

48. दूसरी ओर आवेदक ने निवेदन किया है कि यह तथ्य कि निर्विष्टियों में गिरावट आई है अथवा नहीं, वास्तविक है और वह आवेदक कंपनी की सूचना/साक्ष्य/रिकॉर्ड पर आधारित है। यह महत्वहीन है कि क्या भारतीय उत्पादकों ने भी उसका सामना किया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने पिछले 4-5 वर्षों के दौरान कीमतों में गिरावट के बारे में तर्क दिया है, तथापि भारतीय उत्पादक क्षति अवधि के बीच और उसके बाद तर्क देते रहे हैं। यह अस्वीकार नहीं किया गया है कि जांच अवधि में और उसके बाद कीमतों में वृद्धि हुई है। पूर्व में समाप्त जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन भी काफी अधिक था और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से उसका अनुसमर्थन नहीं होता था। आगे यह भी कहा गया है कि प्रमुख निर्विष्टियों की कीमतों में कमी, उत्पादन में काफी वृद्धि, रोजगार में काफी कमी,

कीमत द्वारा के कारण लागत में कमी आदि को ध्यान में रखते हुए कंपनी की उत्पादन लागत में गिरावट आई है। कनिका द्वारा पिछली जांच और वर्तमान जांच के लिए उत्पादन लागत की तुलना उपलब्ध कराई है जिसमें निर्धारित कारण से भिन्नता के कारण दिए गए हैं और दौरे के समय उक्त के सत्यापन की पेशकश की गई है।

क.) प्रमुख निर्विष्टि पीएचटीएन की कीमतों में अन्य कारणों के साथ-साथ इस तथ्य के कारण गिरावट आई है कि कंपनी ने अपने प्राप्ति के स्रोत को **** से बदल कर **** कर दिया है।

ख.) चूँकि का कनेका ने सूचना उपलब्ध कराई है अतः दौराला द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य अर्थहीन है।

ग.) याचिकाकर्ताओं ने न केवल भारत को निर्यात बिक्रियों के संबंध में बल्कि तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में भी विस्तृत सौदा-वार सूचना उपलब्ध कराई है। यह सूचना यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि क्या कंपनी द्वारा किसी तीसरे देश में उत्पाद का पाटन किया जा रहा था।

घ.) कनेका ने निर्यात के संबंध में हुए सभी व्ययों का बीजक वार विवरण प्रस्तुत किया है और इसलिए इस बारे में दौराला के किसी भी दावे को अस्वीकार किया जाना आवश्यक है।

ङ.) पिछली जांच में उत्पादन की उच्चतर लागत के संभावित कारणों में से एक यह तथ्य था कि उस जांच अवधि में कंपनी ने उत्पाद की बहुत कम मात्रा का उत्पादन किया था जिसका परिणाम उच्च ऊपरी खर्चों की स्थिति के रूप में हुआ था।

छ. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u> :

48. प्राधिकारी ने इस समीक्षा जांच के प्रारंभ के संबंध में हितबद्ध पक्षकारोंद्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों की सावधानीपूर्वक जांच की है।

49. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यदि वह इस संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हों कि ऐसे शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो वे केंद्र सरकार को उसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे।

50. करार के अनुच्छेद 11.2 में यह प्रावधान है कि जहां उचित हो, स्वयं द्वारा की गई पहल पर अथवा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के पश्चात् एक उचित

समयावधि हो गई हो तो किसी हितबद्ध पक्षकार, जिसने समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की हो, के अनुरोध पर प्राधिकारी शुल्क अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे। हितबद्ध पक्षकारों के पास प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन को हतोत्साहित करने के लिए शुल्क को लगाए रखना आवश्यक है, क्या शुल्क समाप्त करने या उसमें अंतर करने या दोनों से क्षति के जारी रहने की संभावना है। यदि इस पैराग्राफ के तहत समीक्षा के परिणामस्वरूप प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी अब उचित नहीं है तो उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। प्राधिकारी मानते हैं कि यह एक स्थापित प्रक्रिया है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा सप्रमाण अनुरोध पर समीक्षा प्रारंभ की जाती है और इस अपेक्षा की 1/99 के एक व्यापार नोटिस द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस वर्तमान मामले में समीक्षा को तदनुसार पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की तारीख के 1.2 महीनों के बाद प्रारंभ किया गया है।

51. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 11.2 के तहत समीक्षा के आधार का प्रमाणन आवश्यक है और आवेदक ऐसा करने में असफल रहा है। अतः समीक्षा प्रारंभ करना गलत है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों का विश्लेषण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की थी कि भारत को केएससी की निर्यात कीमत में अत्यधिक कमी हुई है और सीमाशुल्क को 35% से कम कर के 20% कर दिया गया है। पाटन मार्जिन से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण पाटन मार्जिन संबंधी पैराग्राफ में किया गया है। जहां तक पाटन मार्जिन से जुड़े मुद्दों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती पैरा में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पाटन मार्जिन में काफी परिवर्तन हुआ है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कच्चे माल की कीमत में कमी के परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य में कमी को देखते हुए उत्पादन लागत में अत्यधिक गिरावट आई है, मूल जांच में निर्धारित बैंचमार्क की तदनुसार पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रकटन विवरण के पश्चात् घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के मुद्दे और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की पर्याप्तता के संबंध में कई तर्क प्रस्तुत किए हैं जिनकी प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। उन्होंने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन और प्रश्नावली के उत्तर में पर्याप्त प्रकटन नहीं किया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रश्नावली के उत्तर में सूचीबद्ध सूचना की कमी थी और कुछेक प्रश्नों के उत्तर में दिए गए गोपनीय उत्तर पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं थे। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा संबंधित कंपनियों के संबंध में पूरी सूचना नहीं दी गई थी और निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच अवधि तथा उसके पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराई गई थी। प्राधिकारी द्वारा निवेदनों की जांच की गई थी और नियम 7 के तहत अपेक्षाओं, उत्पाद की प्रकृति और उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में उपलब्ध सीमित प्रौद्योगिकी, यह तथ्य कि कनेका सिंगापुर का एक मात्र उत्पादक एवं निर्यातक है को ध्यान में रखते हुए यह माना गया है कि गोपनीयता के संबंध में आवेदक के दावे

तर्कसंगत थे। जहां तक घरेलू उद्योग और निर्यातक दोनों द्वारा मांगी गई सूचना की गोपनीयता के मुद्दे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद (निर्यातक के लिए) और घरेलू उद्योग की समान वस्तु (घरेलू उद्योग के लिए) से संबंधित तुलन पत्र तथा पृथक लेखे सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं और इसलिए प्राधिकारी ने इन्हें गोपनीय माना है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग तथा निर्यातक की लागत और कीमत से संबंधित समस्त सूचना को प्राधिकारी ने गोपनीय माना है । आगे यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इन्हीं आधारों और जांच के आधार पर गोपनीयता की मांग की है, उनकी बिक्री और उत्पादन संबंधी आंकड़ों को ही प्राधिकारी ने गोपनीय माना है ।

52. इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक द्वारा पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, यह पुष्टि की गई है कि आवेदक द्वारा गोपनीय आधार पर जून '04 जून'05 को समाप्त वर्ष तथा उसके पहले के तीन वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, न केवल समग्र रूप में कंपनी बल्कि प्रभाग तथा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समूह से संबंधित कनेका, जापान के बारे में मैं. कानेका, जापान द्वारा विस्तृत वित्तीय सूचना प्रस्तुत की गई है। जांच से यह सामने आया कि प्रस्तुत की गई सूचना कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर थी जिन्हें आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के संगत पाया गया है और उन रिकॉर्डों से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन, बिक्री, लागत तथा कीमत के बारे में उचित रूप से सूचना प्रदर्शित हुई। सभी विश्व-व्यापी संबंधित कंपनियों के बारे में भी सूचना उपलब्ध कराई गई थी।

ज. <u>पाटन मार्जिन</u> :

<u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

53. सी.शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क(1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

1.) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उपनियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

2.) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्‌गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

किंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्‌गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्‌गम वाले देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।

<u>सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत</u>

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. केएससी सिंगापुर ने जांच अवधि के दौरान भारी बिक्री की है (भारत को की गई बिक्री के 5%से अधिक)। आंकड़ों की जांच के दौरान इस बात का सत्यापन किया गया था कि घरेलू बाजार में आवेदक (निर्यातकों) की बिक्री प्राप्ति उत्पादन लागत से कम रही थी। अतः निर्यातक के सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू बिक्री को हिसाब में नहीं लिया गया है। यद्यपि कंपनी ने तीसरे देश के बाजारों को भारी बिक्री की है तथापि कंपनी ने किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का संकेत नहीं दिया है। इसके अलावा, प्राधिकारी निर्यातक देश के समान उक्त देश के आर्थिक विकास, निर्यातक देश की तुलना में उक्त देश में उद्योग के विकास के स्तर निर्यातक देश की तुलना में उक्त देश में सबद्ध वस्तु के बाजार के आकार और उचित तीसरे देश को किए गए निर्यातों की मात्रा जैसे मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए कारण सहित उचित तीसरे देश का निर्धारण नहीं कर सके। इस बात पर विचार करते हुए कि मूल जांच के दौरान प्राधिकारी ने उनकी उत्पादन लागत को हिसाब में लेकर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया था, प्राधिकारी आवेदन की संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत को हिसाब में लेकर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित मानते हैं।

55. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच के दौरान और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह नोट किया गया था कि मै. कनेका कारपोरेशन, जापान (केएनके), जापान, मै. कनेका सेल्स कार्पोरेशन, सिंगापुर (केएससी) की मूल कंपनी है जो इस जांच में आवेदक है। भारी उत्पादन कार्यकलाप के अतिरिक्त केएनके, जापान अपनी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री भी करता है। इसके अलावा केएनके द्वारा केएनसी, सिंगापुर के लिए बेस और डेन के उत्पादन हेतु अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्रियों की खरीद करता है। तथापि सत्यापन दल को यह दिखाया गया था कि केएससी सहित

किसी भी सहायक कंपनी को कोई निशुल्क सेवा प्रदान नहीं की जाती है। हालांकि इन सौदों की कीमत प्रारंभिक कीमत से अधिक थी तथापि इन सेवाओं को प्रदान करने से जुड़ी लागत केएनके द्वारा रखे गए मार्जिन से कम पाई गई थी। यह नोट किया गया था कि केएनके ने केएससी के लिए कच्ची सामग्री की खरीद और आपूर्ति तथा केएससी के लिए बेस और डेन साल्ट की बिक्री से केवल लाभ कमाया है।

56. जहां तक सामान्य मूल्य के निर्धारण का संबंध है, यह नोट किया गया था कि कंपनी मासिक आधार पर उत्पादन लागत का विवरण तैयार करती है। कंपनी ने इन मासिक उत्पादन लागत विवरणों से जांच अवधि के लिए समेकित उत्पादन लागत विवरण तैयार किया है। कंपनी छमाही लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन पत्र भी तैयार करती है। प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री तथा पैकिंग सामग्री की खपत के विवरण का सत्यापन किया और लेखा बहियों से उनका मिलान किया। जहां तक विनिर्माण से जुड़े व्यय का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि कंपनी परिवर्तन पर आने वाले व्यय का मासिक आधार पर विवरण तैयार करती है। विनिर्माण संबंधी व्यय में वेतन संबंधी व्यय, प्रचालन खर्च, ऊर्जा बचाव कार्यकलाप, आंतरिक परिवहन, अग्नि बीमा, किराया, संपत्ति कर, मरम्मत एवं रख रखाव, सुविधा, पुराने उपकरण को हटाना, प्रयोगशाला व्यय नमूने, दोषपूर्ण उत्पादन को बट्टे-खाते डालना, मूल्यह्रास तालाबंदी व्यय आदि शामिल हैं। जहां तक बिक्री वितरण खर्च का संबंध है यह नोट किया जाता है कि कंपनी बिक्री और वितरण व्यय का मासिक आधार पर एक विवरण तैयार करती है। बिक्री और वितरण व्यय में कमीशन, छूट, सैम्पल, भाड़े, बिक्री बीमा, बिक्री सहायता आदि पर आने वाला व्यय शामिल है। जहां तक एसजीए व्यय का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि कंपनी प्रत्येक माह एसजीए तथा ब्याज संबंधी व्यय का विवरण तैयार करती है। एसजीए तथा ब्याज संबंधी व्यय में प्रशासनिक व्यय अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय तथा सामान्य व्यय शामिल हैं। प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा बेचे गए पीएचपीजी डेन साल्ट तथा अन्य उत्पादों के बीच समस्त व्यय के आबंटन का सत्यापन किया। यह स्पष्ट किया गया था कि कंपनी के पास पूर्ण हुए लेखा वर्षों अर्थात 2004 और 2005 के लिए सम्परीक्षित आय विवरण इसके अलावा, कंपनी के लिए लेखा परीक्षकों द्वारा की गई सीमित लेखा परीक्षा संबंधी समीक्षा के आधार पर जून को समाप्त अवधि के लिए आय विवरण तैयार करना अपेक्षित था। कंपनी ने जून, 2004 और जून, 2005 की अवधि के लिए तथा जून, 2004, दिसंबर, 2004, जून 2005, दिसंबर 2005 तथा जुलाई 2004, - जून 2005 की अवधि के लिए आय विवरण उपलब्ध कराया है ताकि जांच अवधि के लिए आंकड़े संकलित किए जा सके।

57. जहां तक स्वयं की खपत, भारत को निर्यात तथा अन्य देशों को निर्यात हेतु उत्पादन लागत के निर्धारण का संबंध है, कंपनी ने उत्पादन स्तर तक लागत पर विचार करके उत्पादन लागत विवरण तैयार किया है। इस सकल उत्पादन लागत में से आबद्ध खपत घटा दी गई है। उत्पादन लागत पर इसी स्तर पर विचार किया गया है। अत: प्रत्यक्ष बिक्री व्यय, एसजीए तथा ब्याज को स्टॉक परिवर्तन हेतु समायोजन के बाद बिक्री लागत के निर्धारण हेतु जोड़ दिया गया है। इस प्रयोजनार्थ जांच अवधि के लिए

निर्यातक की सत्यापित उत्पादन लागत पर विचार किया गया है। लागत का निर्धारण कच्ची सामग्री की लागत, उसकी खपत से जुड़े कारकों तथा जांच अवधि में भारित औसत कीमत के संबंध में किया गया है। परिवर्तन लागत का निर्धारण जांच अवधि के दौरान किए गए व्यय को ध्यान में रखकर किया गया है।कारोबार के अनुपात में विचाराधीन उत्पाद को विभाजित कर कंपनी केएससी व्यय को ध्यान में रखते हुए बिक्री, सामान्य तथा प्रशासन (एसजीए) व्यय को जोड़ दिया गया है। प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा अर्जित समग्र लाभ को ध्यान में रखते हुए लाभ का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य *** अम. डॉलर बनता है।

58. जहां तक बिक्री का संबंध है, मै. केएससी, सिंगापुर ने भारत को अपनी समस्त बिक्री केएनके, जापान के जरिए की है। भारत के मामले में सभी बिक्रियां भारत के एजेंटों के जरिए की गई हैं। कंपनी के प्राथमिक रूप से दो एजेंट हैं- एपीसी कॉरपोरेशन और सैमपार्क। वस्तुओं के बीजक केएनके, जापान द्वारा तैयार किए जाते हैं। केएससी द्वारा केएनके के मार्जिन हेतु समायोजन के पश्चात् केएनके, जापान के संबंध में बीजक तैयार किए जाते हैं। सिंगापुर में घरेलू बिक्रियों के संबंध में भी बिक्री सहायता शुल्क का भुगतान किया जाता है। यह नोट किया जाता है कि जापान के, प्रदत्त बिक्री सहायता शुल्क की विधिवत सूचना बिक्री सहायता शुल्क के रूप में बिक्री विवरण में दी गई है। जापान के जरिए बिक्री के संबंध में जापान द्वारा जोड़ा गया मार्जिन केएनके जापान तथा केएससी सिंगापुर की बिक्री बीजक की राशि में से निकाला गया है। जहां तक कमीशन का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने कीं गई विभिन्न बिक्रियों पर कमीशन का भुगतान किया है जिसमें भारत को की गई बिक्री पर प्रदत्त कमीशन शामिल है। इसके अलावा, ऋण अवधि की जांच विभिन्न रिकॉर्डों से की गई थी। शिपर के बीजक से समुंद्री भाड़े के लए व्यय का निर्धारण किया गया है। तथापि एक से अधिक पोतलदान के जरिए बेची गई वस्तु के लिए शिपर के एक संयुक्त बीजक के मामले में समुंद्री भाड़े का निर्धारण बीजक में शामिल भारत के अनुपात में किया गया है। समुंद्री बीमा का निर्धारण बीमा पॉलिसी तथा भुगतान वाउचर से किया गया है। यह नोट तथा सत्यापित किया जाता है कि पत्तन व्यय, समुंद्री भाड़े तथा निर्यात से जुड़े अन्य सभी खर्चों को शिपर द्वारा जारी किए गए समुंद्री भाड़ा बीजक में शामिल किया गया हैं। इस प्रकार समस्त व्यय को घटाने के बाद केएससी के लिए भारत हेतु कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. कनेका ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन का विरोध किया है । कंपनी ने यह दावा किया कि निर्धारित पाटन मार्जिन गलत है और कारखाना निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु सामान्य मूल्य एवं सीआईएफ निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उत्पादन लागत तथा लाभ मार्जिन के संबंध में पुनर्विचार अपेक्षित है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कंपनी के दावों की जांच की और यह पाया कि सीआईएफ निर्यात कीमत पर विचार करने में वस्तुत: टंकण संबंधी त्रुटि थी और इसलिए उसे सुधार दिया गया है । प्राधिकारी उत्पादन लागत से संबंधित निर्यातक के दावे से सहमत नहीं हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने आबद्ध खपत, भारत को निर्यात तथा अन्य देशों को निर्यात हेतु अलग-अलग उत्पादन लागत का दावा किया है । तथापि,

प्राधिकारी ने अलग-अलग बाजारों (आबद्ध खपत सहित) के लिए भारित औसत उत्पादन लागत को अपनाना उचित समझा है । यह पाया गया था कि उत्पादन लागत में गणना संबंधी त्रुटि थी जिसे भी सुधार दिया गया है । कनेका ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयातों की पहुंच कीमत का विरोध किया । कंपनी ने तर्क दिया कि जांच अवधि में सीमा शुल्क में 20 और 15% के बीच का अंतर है और इसलिए प्राधिकारी को बीजक की तारीख को ध्यान में रखने के बाद भारित औसत सीमाशुल्क पर विचार करना चाहिए । तथापि, प्राधिकारी ने संगत अवधि के दौरान निर्यातित मात्रा पर विचार किए बिना इस संबंध में लागू सुसंगत पद्धति के अनुसार जांच अधिकारी के दौरान लागू साधारण औसत सीमा शुल्क पर विचार किया है ।

59. मै. केएससी, सिंगापुर के लिए पाटन मार्जिन 12.49% अथवा **** प्रति. डॉलर निर्धारित किया गया है।

परिवर्तित परिस्थितियों का स्थायी स्वरूप और पाटन की संभावना- विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क

60. प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार इस बात की जांच की गई थी कि क्या परिवर्तित परिस्थितियों को स्थायी स्वरूप भी कहा जा सकता है अथवा यदि पाटन रोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो क्या पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना रहेगी। मै. केएससी ने यह अनुरोध किया है कि वर्तमान जांच अवधि में भारत को निर्यात की कीमत सामान्य मूल्य से अधिक है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि कच्ची सामग्री की कम कीमत के आधार पर कम उत्पादन लागत के बारे में केएससी का दावा तथ्यों से परे है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अधिकांश कच्ची सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कुछेक कच्ची सामग्रियों की कीमत में हुई कमी की तुलना में काफी अधिक है। कच्ची सामग्री की उच्च कीमत, सॉल्वेंट की उच्च कीमत, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण उच्च उपयोगिता लागत, कम क्षमता उपयोग, ऊपरी खर्चों में सामान्य वृद्धि, लेखानीति में परिवर्तन के मद्देनजर अपनी सहायक कंपनियों के लिए मूल कंपनी के व्यय के आबंटन के साथ केसी की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित एसजीएण्डए व्यय में बढ़ोतरी से निश्चित रूप से परिकलित सामान्य मूल्य में वृद्धि होगी तथा पाटन मार्जिन अधिक बनेगा।.

निर्यात कीमत में और कटौती की कोई संभावनाएं नहीं

61. घरेलू उद्योग में अपने दिनांक 15 दिसंबर, 2005 के गोपनीय निवेदन में सिंगापुर से पी.एच.पी.जी. डेन साल्ट की निर्यात कीमत की प्रवृत्ति प्रस्तुत की है। वित्त वर्ष 1998-99 के बाद पिछले 7 वर्ष में कीमत की प्रवृत्ति में लगातार कम होते रहने का रूख रहा है और पी.एच.पी.जी. डेन साल्ट की कीमत वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान **** अम.डा./मी.ट. से कम होकर वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान **** अम.डा./मी.ट. हो गई है अर्थात वित्त वर्ष 1998-99 से लगभग 48% की कमी हुई है। घरेलू उद्योग ने

यह भी कहा है कि निर्यातक का यह दावा कि कीमत में कमी उत्पादन लागत में कमी होने के कारण हुई है, के.एस.सी. द्वारा साबित नहीं किया गया है। के.एस.सी. के अपने दावे के अनुसार कच्ची सामग्री की कीमतों में कुछ कमी केवल 25% तक हुई है जबकि मुख्य कच्ची सामग्री की कीमतें 53% तक काफी बढ़ गई है। तदनुसार निर्यात कीमत में और कमी होने की कोई संभावनाएं नहीं हैं, का के.एस.सी. का दावा रिकार्डों में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। तथापि, मै. के.एस.सी. ने विभिन्न कारणों से कच्ची सामग्री की लागतों में पर्याप्त कमी होने का दावा किया है जैसा कि उसने प्राधिकारी को प्रस्तुत अपने निवेदन में उल्लेख किया है।

ड **भारत को निर्यात के संबंध में इसके व्यवहार का अंतिम स्वरूप**

62. मै. के.एस.सी. ने यह दावा किया है कि प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान और कीमतों वर्तमान रूख में वास्तविक पाटन मार्जिन को ध्यान में रखते हुए पाटन जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है। इसके विपरीत उत्तरदाता ने यह दावा किया है कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने **** अम.डा./मी.ट. की पी.एस.पी.सी. डेन साल्ट की निर्यात कीमत के आधार पर और **** अम.डा./मी.ट. की पी.एच.पी.सी. डेन साल्ट की कीमत के वर्तमान रूख को ध्यान में रखते हुए मूल जांच में पाटन मार्जिन निर्धारित किया था इसलिए यह स्पष्ट हैं कि पाटन लगातार बढ़ रहा है और यदि मौजूदा पाटन रोधी शुल्क हटा लिया जाए तो यह जारी रहेगा और बढ़ेगा।

ढ. **प्राधिकारी द्वारा जांच**

63. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों की जांच की थी। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पी.एच.टी.एन. लागत ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसने यह तर्क भी दिया है कि पी.एच.टी.एन. एक सहबद्ध कंपनी से खरीदा गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि जांच अवधि के बाद पी.एच.टी.एन. की कीमतें कम हो गई हैं और इसलिए पाटन की संभावना है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का यह तर्क कि कनेका पी.एच.टी.एन. का उत्पादन करता है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। पी.एच.टी.एन. का कोई उत्पादन नहीं है और उसे कनेका जापान द्वारा बाजार से खरीदा जाता है और कनेका सिंगापुर को भेजा जाता है। यह तथ्य कि क्या पी.एच.टी.एन. की कीमतें कम हुई हैं अथवा नहीं, जांचाधीन कंपनी से संबंधित तथ्यों का मामला है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत पी.एच.टी.एन. की खरीद सौदेवार विवरणों की जांच की है। मूल जांच अवधि के दौरान की गई खरीद के ब्योरों की भी जांच की गई थी। यह पाया गया है कि कंपनी ने अपने आपूर्ति स्त्रोत के **** से ****** कर दिया है जिसके फलस्वरूप कीमतें काफी कम हो गई हैं। यह भी मालूम हुआ है कि कनेका जापान ने वास्तव में अप्रत्यक्ष बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को ध्यान में रखते हुए लाभ पर कनेका सिंगापुर को बिक्री की है। इस प्रकार जांच से यह मालूम नहीं हुआ है घरेलू उद्योग का दावा तथ्यात्मक रूप से सही है। यह भी कहा

गया है कि घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि आवेदन का दावा गलत है।

64. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि निर्यात कीमत कम हो गई है इसलिए पाटन मार्जिन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि निर्यात कीमत में कमी होने के कारण पाटन मार्जिन में वृद्धि होगी। पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के साथ जुड़ा है। यह नोट किया जाता है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में अवधि के दौरान कमी आई है।

65. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि कच्ची सामग्री की कीमतें वस्तुत: बढ़ी है। तथापि जांच से यह साबित हुआ है कि कच्ची सामग्री की कीमतें वस्तुत: कम हुई है। जहां तक आवेदन का संबंध है। प्राधिकारी ने उपलब्ध रिकार्डों से जांच की है।

66. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि उत्पादन लागत बढ़ गई है। तथापि, यह नोट किया जाता है उत्पादन लागत केवल आवेदकों के लिए ही कम नहीं हुई है बल्कि घरेलू उद्योग के लिए भी कम हुई है। वास्तव में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत आवेदकों के उत्पादन की लागत से पर्याप्त रूप से कम हुई है।

67. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया था कि पाटन के बढ़ने की संभावना है क्योंकि रोजगार कम हो गया है तथापि इस तर्क के लिए आधार नही है कि रोजगार की कमी होने के कारण अत्यधिक पाटन होगा।

68. इस प्रकार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि जबकि आवेदक (निर्यातक) कनेका के तर्क इस धारण पर आधारित थे कि जांच अवधि के दौरान कोई पाटन नहीं हुआ था और पाटन के होते रहने की कोई संभावना नहीं थी परंतु प्राधिकारी को यह मालूम हुआ कि वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारत में निर्यात की गई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया था कि कच्ची सामग्री की कीमतें वास्तव में बढ़ी हैं तथापि जांच से यह साबित हुआ था कि कच्ची सामग्री की कीमतें वस्तुत: जहां तक आवेदन का संबंध है कम हुई है। प्राधिकारी उचित सत्यापन के पश्चात उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आगे बढ़े हैं इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। तथापि यह नोट किया जाता है कि उत्पादन की लागत केवल आवेदनों के लिए ही नहीं कम हुई है परंतु घरेलू उद्योग के लिए भी कम हुई है। वास्तव में घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत आवेदकों के उत्पादन की लागत की तुलना में पर्याप्त रूप से कम हुई है तथापि यह तथ्य मौजूद है कि पाटन मार्जिन निरंतर सकारात्मक रहा है और जांच अवधि के दौरान पर्याप्त पाटन हुआ है जैसा कि मूल जांच के दौरान हुआ था इसके अलावा निर्यातक के पास अपने देश के संबंध वस्तु के उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षमता है और उनके पास संबंध वस्तु की पर्याप्त बिक्रीयां नही है तथा भारत के निर्यात में उनके कुल उत्पादन और बिक्रीयों का बहुत कम हिस्सा है। उपर्युक्त के आधार पर

यह समझा जाता है कि जांच अवधि के लिए पहले पैराग्राफों में पहले निर्धारित पाटन मार्जिन के अलावा पाटन की अत्यधिक संभावना है।

क्षति

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क और प्राधिकारी द्वारा की गई जांच

69. आवेदक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि भारतीय उत्पादक को याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निर्यातों के कारण कोई लगातार क्षति नहीं हुई है। निर्यात अग्रिम लाइसेंस के तहत ही किए गए थे और घरेलू उद्योग को अत्यधिक लाभ देने की अनुमति देते हुए बहुत अधिक पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद किए गए थे। इस प्रकार घरेलू उद्योग को संबंध वस्तुओं के पाटन के कारण किसी भी तरह क्षति नहीं रही थी। इसके अतिरिक्त निर्यातक द्वारा यह दावा किया गया है कि मै. द्वारा किए गए अत्यधिक विस्तार से यह मालूम होता है कि कोई लगातार क्षति नही हुई है। याचिकाकर्ताओं ने कंपनी द्वारा किए गए विस्तार के लिए व्यापक जांच करने का अनुरोध भी किया है। यह भी कहा गया है कि कनेका द्वारा निर्यातों की पहुंच कीमत इस तथ्य के कारण बैंच मार्ग से बहुत कम थी कि निर्यात अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत थे, पाटनरोधी शुल्क जिसका भुगतान किया गया था बैंच मार्ग से कम नही हो सकती थी। इससे इस बैंच मार्ग से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए दोराला को कोई वंचित नहीं कर सकता है। यह भी तर्क दिया गया था कि यदि दोराला को बैंच मार्ग से कम कीमत पर बेचने के लिए इसे वांचित नहीं किया था यह भी तर्क दिया था यदि दोराला नें बैंच मार्ग से कम कीमत पर संबंद्ध वस्तु की बिक्री की होती तो भी उनको वित्तीय घाटा नहीं होता। इससे ये साबित होता है कि दोराला को क्षति होने के कारण यह भी तर्क दिया गया है कि दोराला द्वारा दावा की गई क्षमता वृद्धि धोखे बाजी है। तथ्य यह है कि कंपनी ने संयत्र की दोहरी स्थापना की योजना बनाई थी। पहले स्तर को पहले स्थापित किया गया था यह तथाकथित विस्तार कुछ नहीं था परंतु संयत्र की दूसरी अवस्था थी। वास्तव में इसके कारण प्राधिकारी द्वारा पहलें मूल्यांकित उत्पादित लागत जो निर्धारण का आधार थी असमान्य रूप से अधिक थी जिसको अब पर्याप्त रूप से कम होना चाहिए था। यह भी तर्क दिया था कि मैसर्स दोराला भारत में अपनी बिक्री कीमत से पर्याप्त रूप से कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात कर रहा है और अनेक देशों में निर्यात हो रहा है। वास्तव में दोराला अत्यधिक वित्तीय घाटों पर विश्व बाजार में निर्यात करके कनेका के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा कर रहा था, यह भी तर्क दिया गया है कि भारत सरकार ने यूरोप से होने वाले उत्पादन से पाटनरोधी शुल्क हाल में ही हटा लिया था। इसलिए घरेलू उद्योग पर ऐसे पाटित उद्योगों के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है मैसर्स दोराला की पी.एच.पी.जी. डेन साल्ट बनाने की प्रौद्योगिकी उनके द्वारा विकसित नहीं की गई है परंतु यूरोप से खरीदी गई है और इस प्रकार के संभवत: लाइसेंस फीस और/अथवा रायल्टी का भुगतान कर रहें हो जिससे उनका उत्पाद खर्चीला बन रहा है।

70. दूसरी और घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पी.एच.पी.जी. डेन साल्ट पर पाटन रोधी शुल्क हटाने की मध्यावधि समीक्षा सिंगापुर से अकेले निर्यातक के अनुरोध पर शुरू की गई है। ऐसे मामले में कि जाने वाली जांच यह होनी चाहिए कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क में हटाए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा दोबारा होगी इस प्रकार वास्तविक क्षति की मौजूदगी पाटन रोधी शुल्क के जारी रहने के लिए पूर्व अनुरोध नहीं है चाहे घरेलू उद्योग ने यह समझा हो कि संबद्ध सामग्री के आयात के फलस्वरूप क्षति जारी हो।

71. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकरों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की जांच की है ए.डी.ए. के अनुच्छेद-3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंधों में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर आयातों पर प्रभाव, और (ख) पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के बारे में ऐसे उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की सकारात्मक जांच के लिए प्रावधान है।

72. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों वास्तविक रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि वर्तमान जांच मौजूदा शुल्कों की मध्यावधि समीक्षा होने के कारण जांच से संबंधित यह है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप आयातों की पुनरावृत्ति होने अथवा जारी होने की संभावना होगी। आयातो की मात्रा और उन कीमतों के स्तर जिन पर भारत को वस्तुओं का आयात दिया गया है पाटन रोधी के मौजूद होने के बावजूद उसके कारण यह संभावना है कि यदि विद्धान पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाए तो आयातों की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना होगी।

73. संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्से की मात्रा, अन्य देशों से आयात और भारत में मांग और खपत के संबंध में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का मूल्यांकन करने के पश्चात निर्धारित किया गया था भारत में मांग/खपत का मूल्यांकन आयातों और उद्योग की घरेलू बिक्रीयों के जोड़ के रूप में किया गया था। पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात यह जांच की गई थी कि यदि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि होने से संबद्ध देश के आयातों के बाजर हिस्से में कमी होगी। वास्तविक रूप से यह नोट किया गया था कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में बढ़ोत्तरी होने की अपेक्षा कमी आई है। उसी समय बाजार हिस्से में कमी आने की तुलना में संबद्ध पाटित आयातों में बाजार के हिस्से में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है।

74. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद कि कीमत की तुलना में पाटित आयातों से अत्यधिक कीमतें कम हुई है अथवा अन्य प्रकार से ऐसे आयातों के प्रभाव से पर्याप्त मात्रा में कीमतें कम हुई हैं अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका गया है जो पर्याप्त मात्रा में बढ़ सकती थी प्राधिकारी ने करों और शुल्कों, छूटों डिस्काउंट तथा

अन्य कमीशनों और भाड़े तथा परिवहन को छोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को ध्यान में रखते हुए निवल बिक्री वसूली का निर्धारण किया है। घरेलू उद्योग की समस्त बिक्री मात्रा को गणना में शामिल किया गया है आयातों की पहुंच कीमत 1% प्रभारों और लागू मूल सीमा शुल्क के साथ भारित औसत सीआईएफ आयात कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। तुलना निवल बिक्री वसूली और आयातों की पहुंच कीमत के बीच की गई है। इसे इस पर की जांच के बाद विचार किया गया कि पाटित आयातों के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

75. कीमतों को प्रभावित करने वाले घटकों के संबंध में यह नोट किया गया है कि सिंगापुर के निर्यातक पाटित कीमत पर संबद्ध सामग्री का निर्यात कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग जो निर्यात कीमत की समानता करने के लिए अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

76. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि आयातों कि पहुंच कीमत (पाटनरोधी शुल्क के बैगर) गैर क्षति कारक कीमत की तुलना में अत्यधिक कम है। आयातों की पहुंच कीमत कंपनी की घरेलू बिक्री कीमत की अपेक्षा कम है। यह भी कहा गया है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में प्रस्तावित गैर-क्षति कारक कीमत से कम कीमत पर संबद्ध बस्तुओं को बेचने के लिए बाध्य है। संबद्ध देश आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों को अब भी कम कर रही है जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू है और घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति पहुंचा रही है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त/हटाने की परिस्थिति में संबद्ध देश के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में अधिक कटौती करनी पड़ेगी जिससे पुनरावृत्ति की संभावना बनेगी।

77. यह भी कहा गया है कि यद्यपि कीमत कटौती का खतरा बहुत पर्याप्त है और पाटनरोधी शुल्क को चालू रखने के लिए पर्याप्त रूप से उचित है परन्तु घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क हटाने के प्रभाव की पुनः जांच की है और ये भी बताया है कि ऐसे आयातों से पर्याप्त मात्रा में कीमत का ह्रास होगा अथवा कीमत में वृद्धि को रोक देगा जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में बढ़ सकती थी। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ने उत्पादन की इकाई लागत के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है जिसमें निवल बिक्री वसूली और इकाई लाभ/घाटा शामिल है। यह तर्क दिया गया है कि आयात चीन गणवादी गणराज्य, सिंगापुर और यूरोपीय संघ से पाटित कीमतों पर किए जा रहे थे वो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे थे। तथापि घरेलू उद्योग की याचिका पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी दिनांक 20.9.2002 की अधिसूचना संख्या 51/1/2001-डीजीएडी और सीमा शुल्क दिनांक 31.10.2002 की अधिसूचना संख्या 122/2002 सीमा शुल्क तहत अपने अंतिम जाँच परिणाम के तहत चीन जनवादी गणराज्य और सिंगापुर से पीएचपीजी डेन साल्ट के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था। बाद में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7-3-2003 की अधिसूचना संख्या 14/6/2002-डीजीएडी के तहत यूरोपीय संघ से निर्यातित अथवा वहाँ के मूल के पीएचपीजी डेन साल्ट के आयात पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। चीनगणवादी गणराज्य,

सिंगापुर और यूरोपीय संघ से पीएचपीजी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग कर सका और अपनी 240 मी. टन की स्थापित क्षमता (पहली जाँच के समय) को बढ़ाकर 850 मी. टन प्रतिवर्ष कर सका। यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता तो इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए गंभीर परिणाम होते।

प्राधिकारी द्वारा जांच

78. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकरों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की जांच की है ए.डी.ए. के अनुच्छेद-3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंधों में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर आयातों पर प्रभाव, और (ख) पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के बारे में ऐसे उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की सकारात्मक जांच के लिए प्रावधान है।

79. प्राधिकारी के लिए यह जाँच करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तविक रूप से अथवा आयातक देश में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए वर्तमान जाँच मध्यावधि समीक्षा है इसलिए यहाँ जाँच करने के लिए क्या संगत है, वह यह है कि क्या पाटित कीमतों पर आयात पाटनरोधी शुल्क हटाने के मामले अत्यधिक मात्रा में जारी रहेंगे। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिंगापुर से निर्यातक की फालतू के कारण इसके अत्यधिक होते रहने की संभावना है कि घरेलू बाजार में संबद्ध सामग्री कि घरेलू बिक्री नही है और भारत को निर्यात कीमतों में निरन्तर कमी हुई है।

80. कीमतों पर पाटित आयातों पर प्रभाव कि संबंध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन के फलस्वरूप भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पर्याप्त रूप से कीमतों में कटौती हो रही है अथवा इन आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से कीमतों में वृद्धि रूक रही है अथवा पर्याप्त मात्रा में कीमत ह्रास हो रहा है। जांच के बाद यह समझा गया कि पाटित आयातों जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

81. घरेलू खपत/विचाराधीन उत्पाद की माँग की गणना के लिए प्राधिकारी ने भारत में कुल आयातों में घरेलू उद्योग की कुल मात्रा को जोड़ा है। घरेलू उद्योग में गोण स्रोत अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना सेवाओं से एकत्रित आँकड़ों के अधिकार पर आयात की मात्रा और कीमत निर्धारित को निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने डीजीआईसीएंडएस से सौदेवार आाकड़े पर्याप्त किए है। आवेदकों द्वारा सूचित आयातों की तुलना से डीजीआईसीएंडएस और आईबीआईएस यह प्रर्दशित करते है कि आवेदकों द्वारा किए गए निर्यातों की वास्तविक मात्रा डीजीआईसीएंडएस और आईबीआईएस द्वारा सूचित मात्राओं से अधिक है। इसलिए प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

के आधार पर सिंगापुर से हुए आयातों पर विचार किया है। तथापि अन्य देशों हुए आयातों पर डीजीआईसीएंडएस के सौदे द्वारा आँकड़ों के आधार पर विचार किया गया है।

मी.टन में

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	479.52	352.12	328.50
आयात-संबद्ध देश	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	62.50	73.63	103.74
आयात-अन्य देश	237.25	253.80	437.05	467.05
मांग	541.03	802.00	900.03	975.33
सूचीबद्ध	100.00	148.24	166.35	180.27

82. उपर्युक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि देश में संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है जिसमें क्षति अवधि में 80% की वृद्धि हुई है ।

<u>आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा</u>

83. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है । पाटनरोधी नियम के अनुबंध II (ii) में निम्नानुसार उपबंध हैं :-

"पाटित आयातों की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है ..... । "

84. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान सिंगापुर से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की मात्रा से सतत आयात का पता चलता है, इसके अलावा पाटित आयातों में समग्र रूप में और उत्पादन एवं मांग की तुलना में वृद्धि प्रदर्शित होती है और इसके हिस्से में वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
आयात				
सिंगापुर	****	****	****	****
सूची	100	62	73	103
अन्य देश	****	****	****	****
सूची	100	106.98	184.21	196.86
कुल आयात	455.1	389.95	597.45	693.05
सूची	100	85.68	131.28	152.29
कुल आयातों में सिंगापुर से आयातों का बाजार हिस्सा	****	****	****	****
सूची	100	72.93	56.09	68.12
कुल आयात	100	85.68	131.28	152.29
मांग	541.03	802	900.03	975.33
मांग में बाजार हिस्सा				
सिंगापुर	****	****	****	****
सूची	100	42.17	49.66	69.98
अन्य देश	****	****	****	****
सूची	100	72.18	110.74	109.21
कुल आयात	84.12	48.63	68.56	76.07
सूची	100	57.81	81.50	90.43
घरेलू उद्योग				
घरेलू उद्योगों का उत्पादन	****	****	****	****
सूची	100	388	768	885
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात				
सिंगापुर	****	****	****	****
सूची	100	16	9.58	11.71

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

85. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस बात की जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हुई है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त स्तर तक कमी आई है अथवा कीमत में वृद्धि नहीं हुई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक हो गई होती । घरेलू बाजार पर आयातों के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्षति अवधि की तुलना में आयात कीमतों का विश्लेषण किया गया था । निम्नलिखित तालिका से क्षति अवधि की तुलना में प्रवृत्ति का पता चलता है :-

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच क अवधि
सिंगापुर से निर्यात कीमत	****	****	****	****
सूची	100	78.84	73.33	84.90
सिंगापुर से आयात की पहुंच कीमत	****	****	****	****
सूची	100	75.81	67.69	77.56
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें	****	****	****	****
सूची	100	70.41	61.51	61.73
घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत	****	****	****	****
सूची	100	70.34	64.57	65.66
जांच अवधि के लिए गैर क्षतिकारक कीमत				****
कीमत कटौती				
Ø राशि	****	****	****	****
Ø % प्रतिशत	****	****	****	(5-10%)
कीमत कटौती				
Ø कटौती				****
Ø % प्रतिशत				15-25%

86. संबद्ध संबंधित उत्पाद की तुलना निर्यातित उत्पाद के पहुंच मूल्य एवं व्यापार के उसी स्तर पर असंबद्ध ग्राहकों को की गई बिक्री के लिए सभी रिबेटों और करों को छोड़कर

घरेलू बाजार के लिए घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच की गई थी । घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया गया है । संबद्ध दरों की सीआईएफ कीमतों को ढुलाई पश्चात लागू शुल्कों के लिए समायोजित किया गया था । तुलना से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान सिंगापुर के मूल की संबद्ध वस्तु की भारतीय बाजार में बिक्री उस कीमत पर की गई थी जिससे घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती नहीं हुई थी । तथापि, यहं नोट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग पहले से ही इष्टतम से काफी कम कीमतों की पेशकश कर रहा था । यह भी नोट किया जाता है कि समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत काफी कम बनी रही । अत: प्राधिकारी का मानना है कि सिंगापुर से हुए पाटित आयातों से बिक्री कीमतों में भारी कटौती हो रही थी और साथ ही साथ घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हो रहा था ।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव

87. निम्नलिखित पैराग्राफों में विगत वर्षों की तुलना में सिंगापुर से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया गया है ।

बिक्री मात्रा

88. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग पीएचपीजी बेस के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी अपने आरंभिक चरण से अभी उभरा है । यदि पाटनरोधी शुल्क को हटाया गया तो सिंगापुर से सस्ते आयात होंगे और घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में भारी कमी आएगी । वस्तुत: ऐसे किसी परिदृश्य की संभावना इस तथ्य के कारण बनती है कि मै. केएससी, सिंगापुर से सकारात्मक और अत्यधिक पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने की भारी संभावना है ।

89. आयातों तथा बिक्रियों और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में ब्यौरे (इकाई मी.टन)

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	479.52	352.12	328.5
आयात-संबद्ध देश	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	62.5	73.63	103.74
आयात अन्य देश	237.25	253.8	437.05	467.05
मांग	541.03	802	900.03	975.33
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	****	****	****	****
सूची	100	389.67	235.01	211.15

क्षमता उपयोग

90. जांच अवधि के दौरान कंपनी **** % की क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रही थी । घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि पीएचपीजी डेन सॉल्ट पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो इससे सिंगापुर से पाटित वस्तुओं की भरमार हो जाएगी । इसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आएगी । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग , घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत कम करने के बाद ही अधिक उत्पादन और बिक्री करने में समर्थ हुआ है ।

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
क्षमता	****	****	****	****
सूची	100	108.1212	145.4545	145.4545
उत्पादन	****	****	****	****
सूची	100	388.4615	768.4615	886.1538
क्षमता उपयोग	****	****	****	****
सूची	100	359.48	528.2181	609.0044

लाभकारिता

91. पीएचपीजी बेस और डेनसॉल्ट पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के घाटे कम हो गए हैं क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप अधिक उत्पादन पर निर्धारित लागत सामान्य हुई जिसकी वजह से उत्पादन की लागत कम रही । तथापि, यह तर्क दिया गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता तो इसके फलस्वरूप पाटित आयातों के कारण कम बिक्री की मात्रा की वजह से घाटों में और अधिक बढ़ोत्तरी होती । इससे अधिक उत्पादन लागत आजी और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को अधिक घाटे होते ।

बिक्री कीमत का सरल और पीबीटी

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
बिक्री कीमत (रू./किग्रा.)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	70.41	61.51	61.73

उत्पादन की लागत (रू./किग्रा.)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	70.34	64.57	65.69
कर पूर्व लाभ (रू./किग्रा.)	(****)	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	-100	(69.91)	(83.41)	(89.91)

नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रवाह

92. यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध सामग्री का अलग से नकदी प्रवाह तैयार करना बहुत कठिन होगा । तथापि, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग संबद्ध सामग्री पर घाटे उठा रहा है और उसे प्रतिकूल नकदी प्रवाह का सामना करना पड़ रहा है ।

माल सूची

94. वास्तविक संख्या में माल सूची में लगभग 300% की वृद्धि हुई है जबकि बिक्री मात्रा में प्रतिशत के अनुसार आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कमी आई है ।

माल सूची का विवरण (मी.टन में इकाई) :

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
माल सूची	****	****	****	****
बिक्री के प्रतिशत के रूप में माल सूची	8.93	3.85	2.29	7.47

निवेश पर लाभ

95. कीमत ह्रास के कारण घरेलू उद्योग अपने निवेश पर घाटा उठा रहा है और इस समय अपने प्रचालन घाटे पर कर रहा है और निवेश पर नकारात्मक लाभ हो रहा है । तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात घाटों में कमी आई है । तथापि, संबद्ध देश में निर्यातकों की फालतू क्षमता और उनके मजबूत निर्यात अभिमुखीकरण तथा कम घरेलू बिक्री के कारण यह मालूम होता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो घरेलू उद्योग के घाटों में वृद्धि होगी और निवेश पर होने वाले लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

वेतन

96. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान बढ़े हुए उत्पादन को पूरा करने हेतु कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है । तथापि, प्रति यूनिट मीट्रिक वेतन बढ़े हुए उत्पादन के कारण कम हुए हैं ।

वेतन का ब्यौरा:

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
कर्मचारी (सं.)	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	134	200	200
प्रति मी. टन वेतन	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	37.25	27.29	22.74

पूंजी निवेश जुटाने की योग्यता

97. भारत में पीएचपीजी डेन सॉल्ट की मांग घरेलू उद्योग की मौजूदा क्षमता की तुलना में अधिक है और घरेलू उद्योग अभिभावक कंपनी की मदद के जरिए मौजूदा क्षमताओं की बाधाओं को पार करके घरेलू बाजार की समस्त मांग पूरी कर सकता है । तथापि, संबद्ध देश से अनुचित कीमतों पर पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग इस प्रयोजन के लिए घरेलू बाजार से पूंजी जुटाने की स्थिति में नहीं हो सकता ।

रोजगार (तथाकथित पाटित आयातों में वृद्धि होने के कारण कर्मचरियों की छुट्टी)

98. इस उत्पाद के लिए समर्पित कंपनी के अनेक कर्मचारियों ने इस तथ्य के कारण पिछले तीन वर्षों से पर्याप्त रूप से परिवर्तन (वृद्धि) कर ली है कि कंपनी का उत्पादन बढ़ गया है । क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है ।

संविदाएं प्राप्त करने अथवा बिक्रियों में गिरावट आने का साक्ष्य

99. यह निवेदन किया गया है कि निर्यात कीमतों में अत्यधिक कमी आने के कारण आयातक घरेलू उद्योग को आयातित कीमतों के साथ समानता करने के लिए बाध्य कर रहे हैं । यह भी निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग इतनी कम कीमत पर संबद्ध वस्तु को उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं । ईओएल सीमा लागत भी वसूल नहीं कर सकता है जिसके फलस्वरूप ग्राहक समाप्त हो रहे हैं । वास्तव में ऐसी स्थिति से घरेलू उद्योग को पर्याप्त घाटे होने की संभावना है ।

लाभकारिता (याचिकाकर्ताओं और उद्योग के लिए लाभ स्तरों का इतिहास)

100. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग अपने प्रारंभ से घाटे में प्रचालन कर रहा है । यद्यपि मात्राओं में वृद्धि हुई है परंतु कीमत की ओर घरेलू उद्योग को बिल्कुल लाभ नहीं हुआ है और कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है ।

आयातों की मात्रा

101. पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है । तिाापि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है जैसे कि यह पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले बढ़ी थी । पाटित आयातों से बाजार हिस्सों में और लाभ हो सकता है ।

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
आयात मी.टन				
सिंगापुर	****	****	****	****
सूची	100	62.50	73.63	103.74
अन्य देश	****	****	****	****
सूची	100	106.98	184.21	196.86
कुल आयात	****	****	****	****
सूची	100	85.68	131.28	152.29

पाटन की मात्रा

102. उस मात्रा के सूचक के रूप में पाटन की मात्रा, जिस पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, से मालूम होता है कि सिंगापुर के विरूद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन जांच अवधि के दौरान पर्याप्त है जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

उत्पादन

103. पाटनरोधी शुल्क लगाने से पूर्व घरेलू उद्योग का उत्पादन बहुत कम था । इसमें पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात वृद्धि हुई है । तथापि, यह निवेदन किया गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो उसमें गिरावट आएगी ।

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
घरेलू उद्योग का उत्पादन मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	388.71	768.31	885.80

वृद्धि

104. अधिकांश मात्रा के मानदंड जांच अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि सूचित करते हैं । तथापि, कीमत मानदंडों से प्रतिकूल कीमत प्रभाव मालूम होता है । घरेलू उद्योग के निवेश पर लाभ लगातार क्षति निर्धारण की अवधि में नकरात्मक क्षेत्र में रहा है और इसी प्रकार कंपनी का नकद लाभ अथवा लाभ रहा है ।

105. घरेलू उद्योग विचाराधीन अवधि के दौरान पहले ही प्रतिकूल था और यह संभावना है कि पाटनरोधी उपाय किए बगैर बहुत कम कीमतों पर भारतीय बाजार में उत्पाद की पर्याप्त रूप से अधिक मात्राएं भेज दी जाएगी । इससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो जाएगी ।

106. मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को चीन से पाटित आयातों के फलस्वरूप क्षति हो रही है और वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाने से भारतीय बाजार में कीमतें और कम होंगी क्योंकि घरेलू उद्योग के पास अपना उत्पादन कम करने की अपेक्षा अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए एकमात्र विकल्प होगा । इसके बदले, घरेलू उद्योग की लाभकारिता और कम हो जाएगी । घरेलू उद्योग को बाजार से बाहर होने के लिए भी बाध्य होना पड़ सकता है । यद्यपि, जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से कोई वर्तमान मूल्य कटौती नहीं है । (यह पहली क्षति अवधि में पर्याप्त रही थी) परंतु यह समझा जा सकता है कि इस तथ्य के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें पहले ही कम हो गई थीं ।

107. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के लिए यह जांच करना आवश्यक है कि क्या वास्तविक रूप से अथवा उत्पादन के सापेक्ष अथवा आयातक देश में खपत के अनुसार आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । तथापि, वर्तमान जांच मध्यावधि समीक्षा होने के कारण यहां क्या जांच की जानी संगत है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने के मामले में पाटित कीमतों पर आयात पर्याप्त मात्रा में जारी रहेंगे । इस मामले में निर्यातक के पास अपने देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादन हेतु विपुल क्षमता है और उनकी संबद्ध वस्तु की पर्याप्त घरेलू बिक्री भी नहीं होती है और भारत को हुए निर्यात उनके कुल उत्पादन तथा बिक्री का छोटा हिस्सा है । पूर्वोक्त के आधार पर यह माना जाता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति के जारी रहने की प्रबल संभावना है ।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

108. एडीए पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और एडी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों की घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव दोनों की सकारात्मक जांच करने की व्यवस्था है । प्राधिकारी के लिए यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तविक रूप से अथवा आयातक देश में उत्पाद उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । तथापि, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा होने के कारण यहां यह जांच करना संभव है कि क्या पाटनरोधी शुल्क न लिए जाने के मामलों में पाटन कीमतों पर आयात पर्याप्त कीमतों पर जारी रहेंगे । घरेलू बाजार में संबद्ध सामग्री बहुत कम बिक्री को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर के आयातक के पास फालतू क्षमता होने के कारण इस स्थिति की अत्यधिक संभावना है । विगत की तुलना में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन ऐसा रहा है कि पाटनरोधी शुल्क को हटाने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में घरेलू उद्याग से संबंधित अनेक आर्थिक मानदंडों से स्पष्ट है । क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों के संबंध में यह देखा गया है कि इन मानदंडों से इस तथ्य की दृष्टि से पहले के वर्षों की तुलना मे जांच अवधि के दौरान कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं हुई कि आधार वर्ष वह वर्ष होता है जब घरेलू उद्योग का उत्पादन स्थिर हुआ मालूम होता है । तथापि, घरेलू बिक्री कीमतें क्षति की जांच अवधि के दौरान लगातार कम रही हैं और इस तथ्य के बावजूद जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्रियां होती रही हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू है । संबंधित देश से पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त रहा है । इसके अतिरिक्त, जांचद किए गए मानदंडों के आधार पर लगातार अत्यधिक संभावना है तो क्या पाटनरोधी उपायों को समाप्त कर दिया जाए । यह भी कहा गया है कि वर्तमान समीक्षा मध्यावधि समीक्षा जांच होने के कारण यह जांच करना अधिक संगत है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटा लिए जाने से बिक्री मात्रा में पर्याप्त कमी आने की संभावना होगी । घरेलू उद्योग ने इस संबंध में यह निवेदन किया है कि मौजूदा कीमत ह्रास और कमी के स्तर के कारण घरेलू उद्योग को बिक्री मात्राओं का पर्याप्त घाटा सहन करना पड़ेगा (यदि घरेलू बिक्री कीमत बढ़ाई जाए) अथवा घाटे होंगे (यदि कीमतें इसी स्तर पर रखी जाएं) क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने चाहिए ? प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति मानदंडों की जांच की है । यह मालूम होता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पहले घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग केवल 32% था । तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग बढ़ाई गई स्थापित क्षमता पर बढ़कर 100% तक हो गया है । कीमतों के बारे में यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में निरंतर गिरावट आई है । कीमतों में गिरावट पर्याप्त हुई है । यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग कम कीमतों पर उत्पाद का निर्यात कर रहा है । तथापि,

घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि वह देश में पाटित आयात मौजूद होने के कारण ही निर्यात के लिए बाध्य हुआ है । घरेलू उद्योग की निर्यात मात्राएं विश्व में आयात की मात्राओं से बहुत कम हैं । इस कारण से ही घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में संगत वस्तु को बेचने में कठिनाई महसूस कर रहा है, घरेलू उद्योग के लिए किसी भी कीमत पर संभवत: निर्यात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात लाभकारिता के संबंध में घरेलू उद्योग के उत्पादन के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में घाटे कम हुए हैं क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप अधिक उत्पादन की निर्धारित लागत सामान्य हुई जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में गिरावट आई । तथापि, यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो यह निश्चित था कि घाटों में पाटित आयातों के कारण कम बिक्री की मात्रा की वजह से और वृद्धि होती इससे उत्पादन लागत और बढ़ती और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को अधिक घाटे होते । जहां तक नकदी प्रवाह का संबंध है यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है । घरेलू उद्योग की नकदी प्रवाह की स्थिति पर पाटन का प्रभाव अथवा नकदी प्रवाह पर शुल्क हटाने के प्रभाव घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह में प्रत्यक्ष रूप से नजर न आएं । तथापि, नकद लाभों, घरेलू उद्योग की स्थिति पर नकदी प्रवाह स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव होता । घरेलू उद्योग नकद लाभों में क्षति अवधि के दौरान बहुत अधिक विकृति मालूम हुई है । जैसाकि पहले कहा गया है कि सिंगापुर का निर्यातक पाटित कीमत पर संबद्ध सामग्री का निर्यात कर रहा है जिससे घरेलू उद्योग निर्यात कीमतों की समानता करने के लिए अपनी कीमतें कम करने हेतु बाध्य हो रहा है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को घाटे हो रहे हैं । यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो घरेलू उद्योग द्वारा अभी तक प्राप्त मात्रा समाप्त हो जाएगी और कीमत ह्रास की वजह से घरेलू उद्योग को अत्यधिक घाटे होंगे । निर्यातकों के रिकॉर्ड से संकलित आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह मालूम होता है कि आयातों की पहुंच कीमतें (पाटनरोधी शुल्क बगैर) गैर-क्षति कारक कीमत की तुलना में अत्यधिक कम होती । इस प्रकार, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में गैर क्षतिकारक कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु बेचने के लिए बाध्य हैं । इस तरह उपर्युक्त जांच के आधार पर यह माना गया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को लगातार वास्तविक क्षति हो रही है और यदि संबद्ध देश से पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो इसके होते रहने की संभावना है ।

109. प्राधिकारी पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:

(क) सिंगापुर से भारत को संबद्ध वस्तु जिसकी सामान्य कीमत से कम कीमत पर निर्यात की गई जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ और यदि संबद्ध देश से पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो सिंगापुर से संबद्ध वस्तु का लगातार पाटन होने की संभावना है ।

(ख) घरेलू उद्योग को सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है ।

(ग) प्राधिकारी यह उचित समझते हैं कि सिंगापुर से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इनके हटाने से लगातार पाटन और क्षति होती रहेगी ।

110. इसलिए, प्राधिकारी यह उचित समझते हैं कि सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पीएचपीजी डेसा. के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रहने की सिफ़ारिश की जाए । पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, उसके बराबर होगी जिसे यदि लगाया जाएगा तो घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग के गैर-क्षति कारक बिक्री कीमत के साथ की गई है जिसे जांच अवधि के दौरान निर्धारित किया गया था । पाटनरोधी शुल्क निम्न कॉलम 9 में उल्लिखित राशि और अमरीकी डॉलर/कि.ग्रा. में आयातों के पहुंच मूल्य का अंतर होगी बशर्ते प्रति कि.ग्रा. पहुंच कीमत निम्न मॉलम 9 में विनिर्दिष्ट राशि से कम हो ।

क्र. सं.	उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	विनिर्दिष्टता	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2942.00	पीएचपीजी डेन सॉल्ट	सभी श्रेणियां	सिंगापुर	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	9·13	किग्रा.	अम. डॉलर
2	2942.00	पीएचपीजी डेन सॉल्ट	सभी श्रेणियां	कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	9·13	किग्रा.	अम. डॉलर

111. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य मूल्यांकन करने योग्य मूल्य होगा जैसा कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया था और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1967 की धारा 3, 3(क), 8(ख), 9 तथा 9(क) के तहत लगाए गए शुल्क को छोड़कर सभी सीमा-शुल्क होंगे ।

112. केंद्र सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील उपर्युक्त नियम के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2006

Subject : Mid-term Anti-dumping review investigations in the matter relating to imports of D (–) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt (PHPG Dane Salt) from Singapore: Final Findings

A. BACKGROUND OF THE CASE :

No. 15/13/2005-DGAD.— Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), vide Notification No. 14/23/2002-DGAD dated 24th June, 2003 the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of D (–) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt (PHPG Dane Salt) (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Singapore. The provisional findings was issued on 1st October, 2002, and provisional anti- dumping duty was issued on 11th November, 2002 vide customs notification 124/2002.

And, whereas, definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 117/2003-Customs dated 24th July, 2003.

2. Whereas, the Rules require the Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of Anti-dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of positive information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding, the above provision, the authority is required to review, on the basis of positive information submitted by any interested

party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

In terms of the above provision, the producer and exporter M/s Kaneka Singapore Corporation, Singapore (KSC) filed a request for a changed circumstances mid-term review of the anti-dumping duty in force.

3. The producer and exporter of subject goods from Singapore M/s KSC, Singapore has listed the following grounds for changed circumstances review.

- The export price of KSC to India has significantly reduced.
- The Customs duty has been reduced from 35% to 20%.
- The dumping Margin has significantly declined and thus benchmark fixed in the original investigation should be reduced accordingly.
- The Cost of production has significantly declined in view of significant reduction in raw material price leading to reduction in the Normal value.
- The profits realized by the company have significantly declined which would be a tantamount to a decline in Normal value.

4. Having regard to the positive information provided by the applicant indicating the changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority considered that a mid-term review of the Anti-dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Rule 23 supra. Having decided to review the final findings notified vide Notification No.14/23/2002-DGAD dt. 24.06.2003, the Authority initiated the investigations in terms of the Rules on 3rd October 2006, to review whether continued imposition of the duty on imports of PHPG Dane Salt originating in or exported from the Singapore (also referred to as subject country) is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

B. **PROCEDURE:**

5. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i) After initiation of the review the Authority sent questionnaires, along with the initiation notification, to exporters/producers in the subject country, and domestic industry in India in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information;

ii) The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.

iii) Questionnaires were sent to known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).

iv) Investigation was carried out for the period starting from 01.04.2004 to 31.03.2005 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2002 to the end of POI.

v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;. However, the DGCIS report has not been relied upon in this investigations as it was seen that exports quantity submitted by exporter are much higher in terms of quantity.

vi) No response to the initiation notification was received from any other exporter except M/s Kaneka Singapore Corporation (KSC) and M/s Kaneka Japan, Japan (KNK). None of the interested parties except domestic industry have submitted response, in any manner, to the initiation notification subsequent stages of the investigations.

vii) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.

viii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

ix) The Authority examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible examine the injury suffered by them.

x) The Authority also verified the data of the cooperating exporter and applicant for the subject review, to determine the normal value and dumping margin as per the Rules. Following verification, a copy of the verification report was sent to the exporters for their comments and the comments received have been incorporated in the final findings. A copy of the Non-confidential verification report was also placed in the public file for the information of all other interested parties.

xi) The Authority held a public hearing on 3rd February 2006 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, exporters of the subject goods from the subject countries. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. Written submissions received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding to the extent these have been considered relevant to the investigation. In accordance with Rule 16 of the Rule supra, the essential facts/ basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 17th July 2006 and comments received on the same are duly considered in Final Findings.

xii) **** In the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE' :

6. The product involved in the original investigation and the current review is D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt(PHPG Dane Salt) falling under heading No.2942.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS classification. This classification, however, is indicative only and, in no way, binding on the scope of the present investigation. D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt (PHPG Dane Salt) (also to be read as per its different synonyms) i.e. the 'subject goods' (herein after referred as 'PHPGDS) is imported in to India which is converted by the various importers / manufacturers for the production of Amoxycillin and Cefadroxyl. (i.e. bulk drugs). This conversion may either be done at the PHPG / PHPGDS manufacturers' end, or at the users end, i.e. producers of Amoxycillin etc.

7. There are no arguments on the product under consideration. As regard like article, it is noted that there is no significant difference in PHPG Dane Salt produced by the domestic industry and those imported from and sold in the subject country. PHPG Dane Salt produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of physical characteristics, functions and uses, specifications, distribution and marketing, pricing and tariff classification of goods. The consumer are using PHPG Dane Salt imported from the subject countries and PHPG Dane Salt produced by the domestic industry interchangeably. Thus, PHPG Dane Salt produced by the domestic industry is considered as domestic like product to those imported from Singapore (subject country). There are no issues raised with regard to the like article by any interested parties.

D. DOMESTIC INDUSTRY:

8. In the original investigation the application was filed by M/s Daurala Organics Limited, Daurala, Meerut (UP) now merged with M/s DCM Shriram Industries Ltd, unit; Daurala organics, Daurala. M/s DCM Shriram Industries Ltd, unit; Daurala organics, Daurala (also referred to as Daurala organics) is the sole producer of the subject goods in India and have filed response to the review investigation as domestic industry The Authority therefore holds that M/s.DCM Shriram Industries Ltd, unit; Daurala Organics, Daurala (DOL or Daurala Organics) constitutes a domestic industry.

E. ARGUMENTS RAISED BY VARIOUS INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

ISSUES RAISED BY THE DOMESTIC INDUSTRY

9. The Domestic Industry has submitted that the basic conditions in respect of subject material D (-) Phenyl Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt have not changed, since the matter was finally investigated by the Designated Authority in the year June 2003. The condition of the respondent company since then has only worsened so far as their operations are concerned.

10. The injury analysis clearly shows, the need for continuance of the Anti dumping duty otherwise there is all possibility of recurrence of dumping and injury. The injury analysis already submitted would help in proper examination and the need for assessment of mid term review of Anti-Dumping duty levied on PHPGDS, which the Domestic Industry contends that there are no such circumstances existing for undertaking the review.

11. Article 11.2 contains the following ingredients, for review of Anti Dumping levy:-

a. The authorities shall review the need for continuing any imposition of duty, where warranted.
b. upon request by any interested party, which submits positive information substantiating for the need for review.

c. where the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping.

d. Whether the injury would be likely to continue or recur, if the duties were removed or varied or both.

12. Market conditions prevailing in India with respect to demand and supply for PHPGDS and the economic conditions of domestic industry do not warrant any mid term review of imposition of duty.

13. Most important criteria for review relates to whether the injury would be likely to continue or recur, if the duty were varied or removed or both. According to Article 11.2, reviews are prospective in nature, which require a projection of the likelihood of the continuation of recurrence of dumping and injury, if the definitive duties were removed. This entails a counter-factual analyses of hypothetical future events based on projected levels of dumped imports, prices and impact on domestic producers. The question to be addressed is whether the domestic industry is likely to be injured again, if duties were lifted.

14. Performance of domestic industry demonstrates that the domestic industry is still injured and performance of the domestic industry would further deteriorate, if the Anti-Dumping duty is lifted.

15. On the basis of the economic performance of domestic industry, it can be concluded that there are no changes in circumstances warranting mid term review for lifting Anti-Dumping duty, as the same would cause further injury to the domestic industry if the duties were removed or varied or both.

16. KSC have submitted on page 9 that in accordance with Rule 23 of Indian Rules of Anti-Dumping Duty, Anti Dumping duty can /should be revoked if there is no justification for the continued imposition of the Anti-Dumping duty and the same should be reviewed even if there is a change in dumping margin or a change in extent of injury to the domestic industry. Their claim that a mere change in the dumping margin or injury margins or the benchmark per se is sufficient for review.

17. KSC have contended that exports being made by them are at present attracting Anti dumping duties, except exports being made under Advance License. KSC has further submitted that the circumstances in which the duties were imposed earlier have changed significantly, KSC claimed that there is no justification for the continued imposition of Anti dumping duty and the Anti Dumping duty should be withdrawn in so far as KSC is concerned. However, with regard to their claim that there is no justification for the continued imposition of Anti-Dumping duty and therefore, the same needs to be withdrawn is not supported by any factual data, facts or figures and hence their claim is unsubstantiated. Therefore, at this stage there is no warrant for mid term review.

18. In any case, if KSC is exporting the subject material only under advance license as claimed at page 9, the responded is surprised to note that how KSC is effected with the anti-dumping duty in place as the goods cleared under advance license does not attract any anti-dumping duty along with basic duties.

19. As mentioned earlier, the request of KSC on present facts and changed circumstances is merely a statement and not based on any facts and figures. KSC has not submitted any substantial evidences for changed circumstances. Hence, the present initiation itself is not based on positive information substantiating the need for a review.

20. It is surprising that KSC has claimed that dumping margin on the export made by KSC is de-minimus in spite of the fact that both landed price of export and export price in respect of exports of KSC have significantly declined and therefore, benchmark must be reduced. Kind Attention of Hon'ble Authority is solicited on the claim of KSC that landed price of import of subject material has significantly declined. It means that the export price has also declined significantly, which KSC also admits. In such case the dumping margin will rather increase instead of decrease as claimed by KSC.

21. The export price of PHPGDS from Kaneka, Singapore is declining is proof enough that goods are still being dumped in the Indian market.

22. KSC has submitted that they have collected information with regard to imports of subject goods in India on the basis of data / information compiled by IBIS, Mumbai. KSC has analysed the data with respect to export price and the same are quite comparable. Further, KSC has claimed that they were the sole supplier of PHPGDS to India during the relevant period from Singapore, the prices are representative of the price at which goods have been exported to India.

23. The respondent is surprised to note that the sole exporter from Singapore is submitting his export price to India based on the data compiled by the Secondary Agency IBIS in India. As per the submission made by KSC, it appears that the Company has not submitted the actual exports made by them in the relevant period as per prescribed questionnaire of the Authority. It is also surprising and objectionable that the secondary data has been relied upon in case of application filed by sole exporter of the exporting country who himself is the originator of the data.

24. The exporter himself is claiming that the export price has significantly declined over the period. The export price compiled by the respondent based on data supplied by DGCIS, Kolkata clearly shows that there is a reduction in export price of US$ 10332.65 / MT in original POI to US$ 6891.56 / MT in current POI which is 33.3% lower from the original period of investigation. It clearly means that the dumping margin will rather increase by at least 35% as against de-minimus claim by KSC.

25.. The custom duties has reduced from 35% basic to 20% for the financial year 2004-05. This will result into lower landed value of the

subject goods from the subject country. The export prices of the subject goods has also decreased substantially which has further decreased the landed value. Though the Non-injurious price (NIP) has also come down due to better capacity utilization, the injury margin has rather increased as compared to previous investigation. Accordingly, the Anti dumping duty should be further increased instead of discontinuation of the duty as claimed by KSC.

26. KSC has claimed reduction in dumping margin stating that their export price in the proposed period was higher than the normal value. The respondent is not able to understand that how dumping margin will reduce when export price has declined by more than 33.3% over the previous investigation where the Authority has determined a dumping margin of 8.07%. KSC has just submitted that their export price is higher than normal value but did not submit that how the normal value is reduced by more than (33.3% + 8.07%) to claim de-minimus dumping margin.

27. KSC has claimed that their cost of production have reduced significantly due to significant reduction in some raw material prices. KSC has claimed that the major raw material prices have reduced as high as 15% over the past 4 years. The analysis of Annexure-9 shows that there is reduction in the prices of 10 nos. of raw materials as high as by 22% during 2005 compare to 2001, while the prices of 3 nos. of raw materials has increased from 29 to 52% during the above period in case of 3 raw materials, there is no change in the prices as indicated in Annexure-9 of KSC. Hence, the data submitted by KSC itself is contradicting the claim of the KSC that the prices of raw materials has declined significantly. On the contrary, the prices has increased significantly in number of raw materials as high as by 52%. Here, it will be important to mention that major components of cost of production of PHPGDS is the PHPG Base itself. In the earlier submission of PHPG Base, the domestic industry has already proved with the facts and figures that cost of production of PHPG Base has gone up substantially due to increase in the raw material, solvents, utilities, etc.

28. It is a well known fact that over last 1 – 2 years, the prices of crude oil has gone up significantly from 2001 around US$ 25 / barrel to as high as to US$ 70 / barrel in recent period. Due to the same, not only the prices of solvents has gone up significantly, the cost of utilities has also almost doubled over the period. If a nominal increase of 5% in wages and other overheads is added, the cost of production will go up further at least by 10 to 15%. The claim of normal increase of 5% in the expenses is further substantiated based on the Annual Report of KC for financial year 2004-05 stating "Selling, general and administrative (SG&A) expenses were yen **** million, up ****% year-on-year basis."

29. KSC source major raw material required for the production of PHPG Base- PHTN from its parent company Kaneka Corporation, Japan (KC), which in turn in being converted into PHPG Base to PHPGDS. The cost of PHTN itself is a major cost component for the production cost of PHPG Base for KSC.The cost of PHTN in the production cost of PHPG Base, in turn the cost of production of PHPG Base will definitely increase over the period due to the factors stated as above like increase in the solvent, utility prices, labour cost etc. The Authority should go into the details of cost structure of PHTN produced by KC and must verify in detail the cost structure and transfer price mechanism of PHTN from KC to KSC. The domestic industry has requested the Authority to check whether the transfer price is inclusive of all the overheads including selling, general and administrative expenses and a reasonable return to KC on the sale of PHTN to KSC also.

30. KSC & KC have not enclosed any Annual Report along with their application for Mid Term Review. The respondent has already requested the Authority to direct the exporter to provide the copy of Annual Report along with other non-confidential summary of the data submitted on Confidential basis. The respondent has analyzed the Annual Report of KC downloaded from the Net for the financial year 2003-04 and 2004-05. The Annual Report of KSC is not available on its website. The analysis of KC Annual Report reveals that the production of bulk drugs and intermediates has come down over the years. It means due to decrease in production quantity, it is obvious that per unit cost of production will increase due to normation of fixed overheads on reduced production.

31. As per the cost structure, about 85% of the total cost of production of PHPGDS is of raw material, 4 to 5% is utilities cost and rest is overheads, selling, general administrative expenses etc. If for the sake of argument, the claim of the KSC that some of the raw materials prices has decreased as high as 15%, the over all impact in the total cost of production cannot be more than 5 – 10%. It is a fact that the export price has reduced by more than 33%, one cannot even imagine that the dumping margin will reduce.

32. Based on the facts and figures claimed by KSC itself, the dumping margin is going to increase substantially. Accordingly, it is our humble request to the Authority to increase the dumping margin as well as duty level. It is also evident that the volume of export from KSC has increased significantly and the export price on the other hand reduced by more than 33%. It clearly shows that the dumping has rather intensified through Advance License route and once the duty is revoked, the exporter from Singapore will definitely dump its all surplus capacity to the Indian market.

33. The claim of KSC of de-minimus dumping margin is far from facts and in light of the above facts, it is Domestic Industry's humble request to increase the dumping margin in case KSC and increase the existing duty level.

34. Since the KSC has not provided the copy of Annual Reports, the respondent is not in a position to comment on the profitability of KSC. On the other hand, the Annual Reports of KC, Japan the parent company's profit is showing a consistent increase from ****% in 2002-03 to ****% in 2003-04 and ****% in 2004-05. Accordingly, while constructing the constructed normal value, the reasonable return will further increase instead of decrease as claimed by KSC. The averments of KSC that export price of Kaneka is above the cost of production and level of profit realized by the company has declined are contradictory. If earlier they were selling at less than the cost of production, they should have been making losses and when the export price has gone over and above the cost of production, as claimed by them, the profit should have risen which is in sharp contrast to their contention that profits have come down. This clearly indicates that they have reduced the prices in order to dump the goods in the Indian market.

35. KSC claimed that significant reduction in custom duty and decline in export prices consequent to decline in raw materials prices clearly established the need for review. The above two grounds cannot be said a favourable ground of changed circumstances to help the exporter in terms of decline in dumping margin. These two points are rather a changed circumstances for the domestic industry in terms of reduced landed price resulting into higher injury margin. Accordingly, the above two grounds on the basis of which the Authority has initiated the Mid Term Review is not at all the positive changes as far as exporter is concerned.

36. KSC has mentioned that they are exporting PHPGDS to China, Bangladesh, Indonesia, Iran, Italy, Spain, Thailand and Vietnam. As KSC has not submitted the Non-Confidential version of questionnaire response duly indexed, the respondent is not in a position to know the details of exports to other third countries. Kaneka has submitted sale price structure in respect of China, Bangladesh, Iran, Thailand and Vietnam and has claimed that export prices to India cannot be compared with the prices of Spain, Italy and Indonesia. The respondent request the Designated Authority to direct the petitioner to provide a meaningful non-confidential summary duly indexed for exports to third country for the period of review, so that domestic industry can make a meaningful submission on the same.

37. KSC has submitted non-confidential summary in Annexure-11 stating *** mark in sale price structure of exports to third country. From Annexure-11, it appears that the KSC has submitted the export

information in respect of Bangladesh, China, Iran, Thailand and Vietnam only. KSC has not submitted the export information relating to Spanish, Italy and Indonesia. It shows that the petitioner (KSC) has not submitted the complete information to the Authority as form and manner provided in questionnaire and concealed the vital information from the Authority. Hence the complete submissions of the KSC should be rejected on the same ground.

38. KSC has repeatedly claimed that exports price to India is above normal value in the current POI. The claim of KSC of lower cost of production, based on lower raw materials prices is far from the facts. On the contrary, the respondent has proved from the facts that in major raw materials, the prices have increased and comparatively, increase is much higher than the decrease in prices of few of the raw materials. The higher raw material prices, higher solvent prices, higher utilities cost due to increase in crude oil prices, lower capacity utilization, normal increase in overheads, ***% increase in SG&A expenses as reported in KC's Annual Report along with allocation of parent company's expenses to its subsidiaries in view of the changed in the Accounting Policy etc. will definitely increase the constructed normal value and in-turn, higher dumping margin.

39. The respondent in its confidential submission dated 15th December, 2005 has submitted the export price trend of PHPGDS from Singapore (Refer point no.6 Part-I page No.9). The price trend from financial year 1998-99 onwards, in last 7 years continuously showing a downward trend and the price of PHPGDS has reduced from US$ ****5 / MT during financial year 1998-99 to US$ **** / MT during current POI i.e. reduction of about 42.9% since financial year 1998-99. The claim of exporter that the price reduction is due to reduction in cost of production because of decrease in raw materials is not substantiated by KSC. As per KSC's claim itself, decrease in some of the raw materials prices is only as high as ****% (though not tallied with Annexure-9) while the prices of major raw materials have increased substantially ranging up to ****%. Accordingly, the claim of KSC for no possibilities of further reduction in export price is contrary to the facts available on records.

40. The claim of KSC that considering the actual dumping margin during the proposed investigation period and present trend of prices, there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping, is far from the facts. On the contrary, the respondent has proved that the Designated Authority had determined dumping margin in original investigation based on the export price of PHPGDS of US$ ****/ MT and looking the present trend of price of PHPGDS at US$ ****/ MT, it is obvious that dumping is continuously increasing and all likelihood of continuation or recurrence, if existing anti dumping duty is removed.

41. KSC is exporting RHPGDS to Bangladesh, China, Indonesia, Iran, Italy, Spain, Thailand and Vietnam. However, Kaneka has

provided Non-confidential sales price structure of export price as Annexure-11 only in respect of Bangladesh, China, Iran, Thailand and Vietnam without indexing the same for POI and for last two previous years. In the absence of meaningful indexed data for the sales price structure for various countries, the respondent is not in a position to make the comment on the same.

42. KSC has claimed that the export price to various countries are comparable and there is no significant or alarming difference between export prices to various countries. On the other hand, on page no.12 point no.2.2 KSC is insisting that the prices to India cannot be compared with the prices to Spain, Italy and Indonesia, which is contrary to the claim of KSC itself that there is no significant or alarming price difference between export to various countries.

43. Interesting, KSC has itself admitted that export to various countries are not at significant financial losses, which clearly shows that KSC is resorting to the dumping of PHPGDS to the Indian Market and causing injury to the domestic industry, if existing anti dumping duty is lifted, it will further intensified the dumping by KSC and greater injury to the domestic industry.

44. In this paragraph, KSC has replied the question put by the respondent in the preceding paragraph. KSC have admitted that if the exports lands in domestic market after paying Anti Dumping Duty, the subject material will be available to Indian consumer at benchmark price of US$ 13.87 / Kg. If this would have been the situation, the domestic industry would also be in a position to charge a price higher / equivalent to US$ 13.87 / Kg i.e. the benchmark price fixed by the Hon'ble Designated Authority after detailed investigation in the original petition and at this level of price, the domestic industry will have no injury. The dumped exports from KSC, though under Advance License has forced the domestic industry to reduce its prices in the domestic market and in the process, injury is still continued. KSC claimed that the present benchmark price set by the Designated Authority is quite high, hence should result in super abnormal profit to the domestic industry. The Designated Authority has determined the non-injurious price of US$ 16.16 / Kg based on the situation of the domestic industry during original investigation. Accordingly, to remove the injury to the domestic industry, the domestic industry should have realized the price of US$ 16.16 / Kg, which has never been allowed to the domestic industry, because of the dumped imports.

45. The mechanism of sale in the domestic market is such that a larger part of demand for PHPGDS arises from the actual users exporters, who hold Advance Licenses and they are able to purchase materials from abroad at dumped prices.

46. The strange peculiarity can be further gauged by the fact that while domestic industry has been able to produce PHPGDS at internationally competitive prices, they are not able to sell the material to the advance license holders in India, as material is imported at dumped prices from Singapore. Thus, because of dumped prices from sources like KSC, domestic industry has been prevented from selling PHPGDS to the local exporters holding Advance Licenses at non-injurious price. Therefore, there is a strong causal link between dumping and continued losses suffered by domestic industry.

47. The domestic industry has already explained in detail the evidence of causal link in its confidential submission dated 15th December, 2005. For the sake of brevity, the same is not repeated here. Subsequent to the disclosure statement, the domestic industry has reiterated the submissions made by them earlier in this investigations and has asked the Authority to examine the issues before coming out with the final findings.

F. ISSUES RAISED BY THE EXPORTER:

48. On the other hand, the applicant has submitted that the fact whether or not inputs have declined is a matter of fact and is based on the information/evidence/records of the applicant company. It is immaterial whether or not the Indian Producer has also experienced the same. Also, whereas the petitioners have argued about decline in the prices over the past 4-5 years, Indian Producer has been arguing between the investigation period and thereafter. It is not denied that the prices have increased within the investigation period and thereafter. The dumping margin determined by the Authority in the previously concluded investigation was also quite high and was unsupported by the information provided by the company. It has been further added that the cost of production of the company has declined in view of reduction in the prices of major inputs, significant increase in production, significant reduction in employment, decline in costs on account of depreciation, etc. Kaneka provided a comparison of cost of production for the previous investigation and present investigation, accounting for the differences with quantified reason and offered the same for verification at the time of visit.

a) Prices of major input PHTN have declined, amongst other reasons, due to the fact that the company had switched its procurement source from **** to *****.

b) Since Kaneka has provided factual information, construction of normal value done by Daurala is meaningless.

c) Petitioners have provided detailed transaction wise information not only with regard to export sales to India, but also in respect of exports to third countries. This is

sufficient to establish whether the company was dumping the product to any of the third countries.

d) Kaneka has provided invoice by invoice details of all expenses incurred on exports and therefore any claim of Daurala in this regard need be rejected.

e) One of the possible reasons for high cost of production in the earlier investigation was the fact that in that investigation period, the company had produced very low volume of the product, thus resulting in high overhead costs incidence.

G. EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

48. The Authority has carefully examined various submissions made by the interested parties in connection with the initiation of this review investigation.

49. Rule 23 of the Anti Dumping Rules provides that the Designated Authority shall, from time to time, review the need for continued imposition of anti dumping duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, shall recommend to the Central Govt. for its withdrawal.

50. Article 11.2 of the Agreement provides that the Authority shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authority to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authority determines that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately. The Authority holds that it has been its consistent practice to commence a review at the substantiated request of an interested party only after a lapse of one year from the date of imposition of anti dumping duty and this requirement has been notified by a trade notice 1/99. In this instance case, the review has been accordingly initiated more than 12 months after the date of imposition of anti dumping duty.

51. The domestic industry has argued that under Article 11.2 of ADA read with Rule 23 of Indian Antidumping Rules, substantiation of grounds of review are mandatory and the applicant has failed to

do so. Therefore, the initiation of the review is flawed. The Authority has analyzed the arguments made by the various interested parties and concludes that the "Applicant" had submitted positive information, inter alia that the export price of KSC to India has significantly reduced and the customs duty has been reduced from 35% to 20%. The issues pertaining to the dumping margin have been analyzed in the paragraph relating to dumping margin. With regard to the issues relating to the dumping margin, it is noted that the dumping Margin has significantly changed as explained in the earlier para and thus benchmark fixed in the original investigation is required to be revisited accordingly keeping in view of the fact that the cost of production has significantly declined in view of reduction in raw material price leading to reduction in the Normal value. Further, the domestic industry has submitted various arguments pertaining to the issue of confidentiality and adequacy of the data submitted by the applicant which have been examined by the Authority. They have argued that sufficient disclosures were not made by the applicant in their application and response to the questionnaire. It has also been submitted that the questionnaire response lacked indexed information and confidential replies given in response to some of the questions were insufficiently disclosed. Further, full information with regard to related companies was not provided by the applicant and annual reports for the investigation period and preceding three years have not been provided to the Designated Authority. The submissions were examined by the Authority and having regard to requirements under Rule 7, the nature of product and the limited technology available with regard to production process and the fact that Kaneka is the sole producer and exporter from Singapore, it is held that the claims of the applicant with regard to confidentiality were justified. With regard to the issue concerning confidentiality of information sought both by the domestic industry and the exporter, it is noted that balance sheet or separate account pertaining to the product under consideration (for the exporter) and domestic like product (for the domestic industry) is not in the public domain and is therefore treated as confidential by the Authority. Further, all the cost and price information of the domestic industry as well as the exporter has been held as confidential by the Authority. It is further noted that the domestic industry has also sought confidentiality on these very grounds and on the basis of the examination, their sales and production data have also been treated as confidential by the Authority.

52. It is further clarified that sufficient information required for the purpose of determination of dumping margin was provided by the applicant. It is further confirmed that the applicant has also

provided annual reports for the period ending June'04 and June'05 and three years preceding investigation period on the confidential basis (as the information was not available in the public domain). Additionally, detailed financial information with regard to Kaneka, Japan not only concerning the company as a whole but also the division and the group relating to the product under consideration were provided by M/s Kaneka Japan. Investigations revealed that the information provided was on the basis of records maintained by the Company, which were found to be consistent with generally accepted accounting principles and the same reasonably reflected information with regard to the production, sales, costs and prices of the product under consideration. Information with regard to all world vide related companies was also provided.

H. DUMPING DETERMINATION:

NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

53. Under Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act 1975, Normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

53. Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE:

54. The Authority notes that M/s KSC, Singapore has made substantial sales (more than 5% of the sales made to India) during the period of investigation. During the examination of the data, it was verified that the applicant's (exporters) sales realization in the domestic market was below the cost of production. Hence, the domestic sales have not been taken into account for the purpose of determining the normal value of the exporter. Though the company has substantial sales to third market countries, the company did not suggest any appropriate third market economy country. Further, the Authority could not with reason determine the appropriate third country keeping in view the criteria like similar economic development of the country to the exporting country, the level of development of the industry in that country as compared to the exporting country, the size of the market of the subject goods in that country as compared to the exporting country and quantity of the exports made to appropriate third country. Considering the fact that during the original investigations, the Authority had determined the normal value taking into account their cost of production, the Authority considers it appropriate to determine the normal value by taking account the cost of the production of subject goods of the applicant.

55. During the examination of the information submitted by the applicant and during verification process, it was noted that M/s Kaneka Corporation, Japan (KNK) , Japan is the parent company of M/s Kaneka Sales Corporation, Singapore (KSC) , the applicant in this investigation. In addition to substantial production activity, KNK Japan also undertakes sales of goods produced by its affiliates. Further, KNK purchases critical raw materials required for production of Base and Dane Salt for KNC, Singapore. However, verification team was shown that no service is provided free of cost to any affiliates, including KSC. While these transactions are priced more out of conventions, the costs associated with providing these services were found to be lower than the margins retained by KNK. It was noted that KNK has made a net profit out of purchase and supply of raw materials for KSC and sales of Base and Dane Salt for KSC.

56. With regard to the normal value determination, it was noted that the company prepares cost of production statement on monthly basis. The company has consolidated cost of production statement for the POI from these monthly cost of production statements. The company also prepares six monthly profit & loss account and Balance Sheet. The Authority verified statement of raw materials and packing materials consumption and reconciliation from the books of account. With regard to manufacturing expenses, it is noted that the company prepares a statement of expenses incurred on conversion on monthly basis. The manufacturing expenses includes expenses on salaries, operating expenses, energy saving activities, inward transportation, fire insurance, rent, property tax, repairs & maintenance, facility movement, replacement of old equipment, laboratory expenses, samples, defective production written off, deprecation, shutdown expenses, etc. With regard to the selling and distribution expenses, it is noted that the company prepares a statement of sales & distribution

expenses on monthly basis. Sales & distribution expenses includes expenses on commission, discounts, sample, freight, sales insurance, sales assistance fee. With regard to SGA expenses, it is noted that the company every month prepares a statement of SGA and Interest expenses. The SGA and Interest expenses includes various expenses in the nature of administrative expenses, indirect sales expenses and general expenses. The Authority verified the allocation of all expenses between PHPG Dane Salt and other products sold by the company. It was explained that the company has its audited income statement for the completed accounting years, i.e., 2004 and 2005. Further, the company was required to prepare an income statement for the period ending June on the basis of limited audit review by the auditors. Therefore, the company has prepared its income statement and balance sheet for the period ending June, 2005 The company has provided this income statement for the period June, 2004 and June, 2005 and for the period ending June, 2004, Dec., 2004, June, 2005, Dec., 2005 and July, 2004 – June, 2005 in order to compile data for the period of investigation.

57. With regard to determination of cost of production for self-consumption, exports to India and exports to third countries, the company has prepared cost of production statement by considering costs up to production level. Captive consumption has been reduced from this gross cost of production. Cost of production has been considered at the same level at this stage. Therefore, direct selling expenses, SGA and interest have been added to determine cost of sales, after adjustment for stock changes. For the purpose verified cost of production of the exporter for the investigation period has been considered. Costs have been determined in terms of costs of major raw materials, consumption factors thereof and weighted average price in the period of investigation. Conversion costs have been determined by considering expenses incurred during the period of investigation. Selling, General and Administration (SGA) expenses have been added considering the SGA expenses of the company, apportioned on the product under consideration in the ratio of turnover. The Authority has determined profit by considering the overall profit earned by the company. The normal value so assessed come to US$******

58. With regard to export sales, the M/s KSC, Singapore has made all sales to India through KNK, Japan. In case of India, all sales are through agents in India. The company primarily has two agents - APC Corpn. and Sampark. The goods are invoiced by KNK, Japan, KSC invoices on KNK, Japan after adjusting for margin of KNK. Even in case of domestic sales in Singapore, sales assistance fee is paid. It is noted that sales assistance fee paid to Japan has been duly reported in the sales statement as sales assistance fee. Margin added by Japan in respect of sales through Japan has been worked out from the difference between the sales invoice amounts of KNK, Japan and KSC, Singapore. With regard to the commission, it is noted that the company paid commission on various sales made, which included commission paid on sale made to India. Further, the credit period was examined from various records. Expenses on

account of ocean freight has been determined from shipper's invoice. However, in case of one combined invoice by the shipper against goods sold by more than one shipment, ocean freight is determined in proportion to the weight involved in the invoice. The marine insurance has been determined from insurance policy and payment voucher. It is noted and verified that the port expenses, inland freight and all other expenses associated with exports are included in ocean freight invoice issued by the shipper. Thus, after deducting all expenses, the ex factory export price to India for KSC has been determined. In response to disclosure statement, M/s Kaneka disputed the dumping margin determined by the Authority. The company claimed that the dumping margin determined was incorrect and was required to be reviewed with regard to cost of production & profit margin for the purpose of determination of normal value and CIF export price for the purpose of determination of ex-factory export price. Claims made by the company were examined by the Designated Authority and it was found that in fact there was a typographical error in considering CIF export price and therefore the same is corrected. The Authority does not agree with the cost of production claimed by the exporter. Authority notes that the company has claimed different cost of production for captive consumption, exports to India and exports to third countries. The Authority has however considered it appropriate to adopt weighted average cost of production for the different markets (including captive consumption). However, it was found that there was a calculation error in cost of production, which has also been corrected. In response to disclosure statement, Kaneka disputed the landed price of imports determined by the Authority. The company argued that the customs duties in the investigation period varied between 20% and 15% and therefore the Authority should have considered weighted average customs duties after taking into account the invoice date. The Authority has however considered simple average of customs duties applicable during the investigation period, as per consistent practice being applied in this regard, without considering the volumes exported during the relevant period.

59. The dumping margin for M/s KSC, Singapore has been determined as 12.49% or S$ ****

LASTING NATURE OF THE CHANGED CIRCUMSTANCES AND LIKELIHOOD OF DUMPING- ARGUMENTS BY VARIOUS INTERESTED PARTIES

60. In accordance with the practices of the Authority, it was examined whether changed circumstances could be said to be of lasting nature or if there would chances of recurrence of dumping if the anti dumping duty is withdrawn. M/s KSC has submitted that export price to India is above normal value in the current POI. The domestic industry has claimed that the claim of KSC of lower cost of production, based on lower raw materials prices is far from the facts. The Domestic Industry has submitted that in maximum number of raw materials, the prices have increased and comparatively, increase is much higher than the decrease in prices of few

of the raw materials. The higher raw material prices, higher solvent prices, higher utilities cost due to increase in crude oil prices, lower capacity utilization, normal increase in overheads, 5.5% increase in SG&A expenses as reported in KC's Annual Report along with allocation of parent company's expenses to its subsidiaries in view of the changed in the Accounting Policy etc. will definitely increase the constructed normal value and in-turn, higher dumping margin.

NO POSSIBILITIES OF FURTHER REDUCTION IN EXPORT PRICE

61. The domestic industry in its confidential submission dated 15th December, 2005 has submitted the export price trend of PHPG Dane Salt from Singapore The price trend from financial year 1998-99 onwards, in last 7 years continuously showing a downward trend and the price of PHPG Dane Salt has reduced from US$ ****/ MT during financial year 1998-99 to US$ **** / MT during financial year 2004-05 i.e. reduction of about 48% since financial year 1998-99. The domestic industry has added that the claim of exporter that the price reduction is due to reduction in cost of production because of decrease in raw materials is not substantiated by KSC. As per KSC's claim itself, decrease in some of the raw materials prices is only as high as 25% while the prices of major raw materials have increased substantially ranging up to 53%. Accordingly, the claim of KSC for no possibilities of further reduction in export price is contrary to the facts available on records. However, M/s KSC has claimed significant reduction in the raw material costs due to various reasons as actually recorded by it in its submissions to the Authority.

L. LASTING NATURE OF ITS BEHAVIOR IN RESPECT OF EXPORTS TO INDIA:

62. M/s KSC has claimed that considering the actual dumping margin during the proposed investigation period and present trend of prices, there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping. On the contrary, the respondent has claimed that the Designated Authority had determined dumping margin in original investigation based on the export price of PHPG Dane Salt of US$ ****/ MT and looking the present trend of price of PHPG Dane Salt at US$ **** / MT, it is obvious that dumping is continuously increasing and would continue and increase, if existing anti dumping duty is removed.

M. EXAMINATION BY AUTHORITY :

63. The Authority examined various arguments advanced by the domestic industry. It has been argued by the domestic industry that PHTN cost structure has not been provided. It is also argued that PHTN has been purchased from an affiliated company. It is also argued that the PHTN prices have declined after the POI and therefore there is

likelihood of dumping. The Authority notes that the argument of the domestic industry that Kaneka produces PHTN is factually incorrect. There is no production of PHTN and the same is procured from market by Kaneka, Japan and supplied to Kaneka, Singapore. The fact whether or not PHTN price has declined is a matter of facts pertaining to the company under investigation. The Authority has examined transaction wise details of purchase of PHTN submitted by the exporter. Details of purchases made during the original investigation period were also examined. It is found that the company has switched its supply source from **** to ******* which has resulted in substantially lower prices. It is also found that the Kaneka, Japan has in fact sold to Kaneka, Singapore at profits, after taking into account indirect selling, general & administrative expenses. The investigation has thus not shown that the claim of the domestic industry is factually correct. It is also pointed out that the domestic industry has not provided any evidence, which establishes that the claim of the applicant is incorrect.

64. The domestic industry has submitted that since the export price has declined, dumping margin can at best increase. The Authority notes that there is no basis to hold that the decline in export price would lead to increase in dumping margin. Dumping margin is linked to both normal value and export price. It is noted that both normal value and export price have declined over the period.

65 Domestic industry argued that raw materials prices have in fact increased. The investigation has however established that the raw materials prices have in fact declined in so far as the applicant is concerned. The Authority has proceeded on the basis of records available.

66 The domestic industry argued that the cost of production has increased. However, it is noted that the cost of production has declined not only for the applicants but also for the domestic industry. In fact, the cost of production of the domestic industry has declined far more substantially than the cost of production of the applicants.

67 The domestic industry has argued that dumping is likely to increase as employment has gone down. However, there is no basis for the argument that decline in employment would lead to intensified dumping.

68. The Authority thus concludes that whereas arguments of applicant (exporter) Kaneka were based on the premise that there was no dumping during the investigation period and there was no likelihood of continuation of dumping, the Authority has found that the goods have been exported to India at dumped prices. The domestic industry argued that raw materials prices have in fact increased. The investigation has however established that the raw materials prices have in fact declined in so far as the applicant is concerned. The Authority has proceeded on

the basis of records available after due verification. Further, the domestic industry argued the cost of production has increased. However, it is noted that the cost of production has declined not only for the applicants but also for the domestic industry. In fact, the cost of production of the domestic industry has declined far more substantially than the cost of production of the applicants. However, the fact remains that dumping margin continues to be positive and significant during the POI as was there during the original investigation. Moreover, the exporter has a huge capacity for the production of subject goods in their country and also they do not have substantial domestic sales of the subject goods and exports to India comprises a small fraction of the their total production and sales. On the basis of the foregoing, it is considered that there exists a strong possibility of likelih ·od of dumping apart from the dumping margin determined earlier in the earlier paragraph for the period of investigations.

Injury

Arguments by various interested parties and examination by the Authority

69. It has been submitted by the applicant that the Indian Producer was suffering no continued injury due to exports made by the petitioners. Exports were being made only under Advance Licence and anti dumping duty paid prices were significantly high to permit huge profits to the domestic industry. Thus, domestic industry in any case was not suffering injury due to possible dumping of the subject goods. Further, it has been claimed by the exporter that huge expansion done by M/s Daurala shows no continued injury. Petitioners also requested for detailed investigation into the reasons for expansion by the company. It has been further added that whereas the landed price of exports by Kaneka were significantly below the benchmark due to the fact that exports were under advance licence, anti dumping duty paid price could not have been below the benchmark. Nothing prevented Daurala from selling below this benchmark. It was also argued that should Daurala have sold the subject goods below the benchmark, they could not have suffered financial losses. This establishes that the reasons for injury to Daurala are different. It has been further argued that capacity addition claim made by Daurala is misleading. The fact is that the company had planned two stage setting up of the plant. While the first stage was set up earlier, this alleged expansion was nothing but second stage of the plant. In fact, due to this, the cost of production earlier assessed by the Authority which formed the basis for determination was abnormally high, which should have now come down significantly. It has been further argued that M/s Daurala is exporting the product at prices significantly below their selling price in India and export price to a number of countries. In fact, Daurala was causing unfair competition to Kaneka in world market by exporting at huge financial losses. It has also been argued that Government of India had

recently revoked anti dumping duties on the product from Europe. Therefore, impact of such un dumped imports on the domestic industry must also be taken into account. It has been further argued that M/s Daurala's technology to make PHPG Dane Salt is not developed by them but bought from Europe and so they might be paying licensing fee and/or royalty which makes their product expensive.

70. On the Other hand, the domestic industry has contended that Present Mid Term Review for revocation of antidumping duty on PHPG Dane Salt has been initiated on the request of sole exporter from Singapore. In such a case, the test to be applied and examined is whether the cessation of antidumping duty in force is likely to lead to the continuation or recurrence of the injury to the domestic industry. Thus, the existence of material injury is not the pre-requisite for continuation of antidumping duty even though domestic industry considered that the imports of the subject material have resulted in continued injury to them.

71. The Authority has examined the arguments submitted by various interested parties. Article 3.1 of the ADA and Annexure-II of the A.D. Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports.

72. With regard to the volume of the dumped imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. However, given that the present investigation is a Mid Term Review of existing duties, what is relevant to examine is whether cessation of Anti dumping duty would result in continuance of imports or recurrence of imports. Given the volume of imports and the level of prices at which the goods have been exported to India in spite of existence of anti dumping duty, it is likely that the volume of imports would further increase in case the present Anti dumping duties are withdrawn.

73. The market share of imports from the subject countries, imports from other countries and market share of domestic industry in relation to demand / consumption in India were determined after assigning the demand of the subject goods in India. Demand / consumption in India were assessed as the sum of imports and domestic sales of the domestic industry. After imposition of anti dumping duty, it was examined if the market share of imports from the subject country declined with the increase in the market share of the domestic industry. In actual fact, it was noted that the domestic industry rather than gaining market share, lost market share. At the same time, dumped imports from the subject country, rather than loosing market share, has increased significantly its market share.

EFFECT ON PRICES:

74. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The Authority has determined net sales realization considering selling price of domestic industry, excluding of taxes and duties, rebates, discounts & commissions and freight & transportation. Entire sales volumes of the domestic industry have been included in the calculations. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. The comparison was done between net sales realization and landed price of imports. It is considered after examination that dumped imports have caused adverse price effect on the domestic industry during the POI.

75. With regard to factors affecting prices, it is noted that the exporter from Singapore is exporting the subject material at the dumped price, which might be compelling the domestic industry to reduce its prices to match the export price.

76. It has been submitted by the domestic industry that the landed prices of imports (without the Anti dumping duty) are significantly low as compared to non-injurious price. The landed price of the imports is also lower than the domestic selling price of the company. It has been added that the domestic industry is forced to sell the subject goods well below the proposed non-injurious price in the domestic market. The landed price of the imports from subject country is still under cutting the prices of the domestic industry even Anti dumping duty is in forced and causing material injury to the domestic industry. In the event of cessation / revocation of anti dumping duty, the imports of subject country would intensify the under cutting the prices of domestic industry, thereby leading to recurrence of injury.

77. It has been further added that even though threat of price under cutting is significant and is per se sufficient to justify continuance of anti dumping duty, domestic industry has further examined the effect of revocation of anti dumping duty and whether effect of such imports would depress the prices to significant degree or prevent price increases, which otherwise would occur to a significant degree. For the purpose, the domestic industry has provided the information with regard to unit cost of production, net sales realization and unit profit/loss. It has been argued that imports were coming from China PR, Singapore and European Union at dumped prices, which were causing injury to the

domestic industry. However, at the petition of domestic industry, the Designated Authority had imposed Antidumping duty on the import of PHPG Dane Salt from China PR and Singapore vide its final findings notification no. 51/1/2001-DGAD dated 20.09.2002 and vide custom notification no. 122/2002-Customs dated 31.10.2002. Later on, Anti-dumping Duty was also imposed by the Designated Authority on Import of PHPG Dane Salt originating in or exported from European Union vide its Notification No. 14/6/2002-DGAD dated. 07.03.2003. After the imposition of Anti dumping duty on the imports of PHPG from China PR, Singapore and European Union, the domestic industry could utilize its capacity and even has increased the installed capacity from **** MT (at the time of previous investigation) to **** MT per annum. If the Anti-dumping duty were to be withdrawn, it will result in to serious consequences for the domestic industry.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

78. Article 3.1 of the ADA and Annexure-II of the A.D. Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports.

79. The Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing country. However, given that the present investigation is mid term review for continuation of existing Anti dumping duty, what is relevant to examine here is whether the imports at dumped prices would continue in significant volume in the event of revocation of Anti-dumping duty. This could be the most likely situation given the surplus capacity with exporter from Singapore in view of the fact that there is no domestic sale of the subject material in the domestic market and the export prices to India has continuously declined.

80. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether dumping is resulting into significant price under cutting as compared to the prices of like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree. It is considered after examination that dumped imports have caused adverse price effect on the domestic industry during the POI.

ASSESSMENT OF DEMAND:

81. For the calculation of the Domestic consumption/demand of the product under consideration, the Authority added the sales volume of

the domestic industry to the total imports into India. The domestic industry has determined import volume and value based on the data collected from secondary source i.e. International Business Information Services. The Authority collected transaction wise data from the DGIC&S. Comparison of imports reported by the applicants, DGCI&S and IBIS shows that the actual volume of exports made by the applicants is higher than the volumes reported by DGCI&S and IBIS. Therefore, the Authority has considered imports from Singapore on the basis of the information provided by the applicants. However, imports from other countries have been considered on the basis of DGCI&S transaction wise data.

Unit: In MT

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Sales of Domestic industry	****	****	****	****
Indexed	100.00	479.52	352.12	328.50
Imports – Subject Country	****	****	****	****
Indexed	100.00	62.50	73.63	103.74
Imports – Other Countries	237.25	253.80	437.05	467.05
Demand	541.03	802.00	900.03	975.33
Indexed	100.00	148.24	166.35	180.27

82. From the above table, it is concluded that the demand of the subject goods in the country shows positive growth and increased by 80 % in the injury period.

IMPORT VOLUMES AND MARKET SHARE:

83. With regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure-II (ii) of the Anti-dumping rules provides as under :-

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India ....."

84. It is noted that volume of dumped imports from Singapore has increased in absolute terms during the injury period. It is also noted that the volume of imports shows continued imports. Further, the dumped imports shows an increase in absolute terms and also in relation to production and demand and its share increased as is evident from the table below

Unit: MT

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Imports				
Singapore	****	****	****	****
Index	100	62	73	103
Other Countries	****	****	****	****
Index	100	106.98	184.21	196.86
Total Imports	455.1	389.95	597.45	693.05
Index	100	85.68	131.28	152.29
Market Share of imports from Singapore in total Imports	****	****	****	****
Index	100	72.93	56.09	68.12
Total Imports	100	85.68	131.28	152.29
Demand	541.03	802	900.03	975.33
Market Share in Demand				
Singapore	****	****	****	****
Index	100	42.17	49.66	69.98
Other Countries	****	****	****	****
Index	100	72.18	110.74	109.21
Total Imports	84.12	48.63	68.56	76.07
Index	100	57.81	81.50	90.43
Domestic industry				
Production of Domestic industry	****	****	****	****
Index	100	388	768	885

Imports in relation to production of domestic industry				
Singapore	****	****	****	****
Index	100	16	9.58	11.71

PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS:

85. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the effect of imports on the domestic market an analysis of import prices over the injury period was made. The table below shows the trend over the injury period:

Unit: MT

	2002-03	2003-04	2004-05	Period of investigation
Export Price from Singapore	****	****	****	****
Index	100	78.84	73.33	84.90
Landed Price of imports from Singapore	****	****	****	****
Index	100	75.81	67.69	77.56
Selling price of the domestic industry	****	****	****	****
Index	100	70.41	81.51	61.73
Cost of production of the domestic industry	****	****	****	****
Index	100	70.34	64.57	65.66
Non injurious price for the POI				****
Price undercutting				
Amount	****	****	****	****
%	****	****	****	(5-10%)
Price underselling				

Amount				****
%				15-25%

86. A comparison for product concerned was made between the landed value of exported product and the average selling price of the domestic industry for domestic market net of all rebates and taxes for sales made to unrelated customers, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level. The CIF prices of the subject country concerned were adjusted for post importation applicable duties. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in Singapore were sold in the indian market at prices which were not undercutting the domestic industry's prices. However, it may be noted that in this situation , the domestic industry was already offering significantly sub-optimal prices. It is also noted that the prices of the domestic industry remained at suppressed level throughout the injury period. The Authority therefore holds that the dumped imports from Singapore were significantly depressing the selling prices and were at the same time suppressing the prices of the domestic industry.

IMPACT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY:

87. The performance of the domestic industry because of dumped imports from Singapore over the past has been analyzed in the following paragraphs.

SALE VOLUME:

88. it has been submitted that the domestic industry has just come out of its nascent stage only due to imposition of the anti dumping duty on the import of the PHPG base. If the anti dumping duty were to be withdrawn, this will result into the cheap imports from Singapore and will reduce the sales volume of the domestic industry significantly. Indeed, such a scenario appears likely given the fact that positive and significant dumping margin has been established from M/s KSC, Singapore and there exists a strong likelihood of continuation of dumping if anti dumping duty is withdrawn.

89. Details about Imports and Sales and trends there of (Unit MT)

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Sales of Domestic industry	****	****	****	****
Indexed	100	479.52	352.12	328.5
Imports – Subject	****	****	****	****

Country				
Indexed	100	62.5	73.63	103.74
Imports – Other Countries	237.25	253.8	437.05	467.05
Demand	541.03	802	900.03	975.33
Market share of domestic industry in demand	****	****	****	****
Index	100	389.67	235.01	211.15

CAPACITY UTILIZATION:

90. During the period of investigation the company was operating at ****% capacity utilization. It is contended by the Domestic Industry that if the existing anti dumping duty on PHPG Dane Salt is withdrawn, this will result into opening up of floodgates of the dumped goods from Singapore, and will result into substantial decrease in the capacity utilization. It is also noted that the domestic industry has been able to produce and sell more only after reducing the price of the subject goods in the domestic market.

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Unit:MT				
Capacity	****	****	****	****
Index	100	108.1212	145.4545	145.4545
Production	****	****	****	****
Index	100	388.4615	768.4615	886.1538
Capacity Utilization	****	****	****	****
Index	100	359.48	528.2181	609.0044

PROFITABILITY:

91. After the imposition of Anti dumping duty on PHPG base and Dane Salt, the domestic industry has reduced its losses compared to previous years as the production has increased resulting into normation of the fixed cost on higher production, in turn resulting into the lower cost of production. However, it is contended that if anti dumping duty were to be withdrawn, it would result into further increase in losses, due to lower sales volume on account of dumped imports. It may result into higher production cost and as a consequence result into more losses to the Domestic industry.

TRENDS OF SELLING PRICE AND PBT:

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Selling Price (Rs./Kg.)	****	****	****	****
Trend	100	70.41	61.51	61.73
Cost of production (Rs/Kg)	****	****	****	****
Trend	100	70.34	64.57	65.69
Profit Before Tax (Rs./kg)	(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	-100	(69.91)	(83.41)	(89.91)

ADVERSE EFFECT ON CASH FLOW:

92. It has been submitted that it will be very difficult for the domestic industry to prepare the cash flow for the subject material separately. However, as already mentioned and noted, the domestic industry is incurring losses on the subject material, and is facing adverse cash flow.

INVENTORY

94: Inventory in terms of absolute numbers has increased by about 300% whereas in terms of percentage of sales quantity has reduced during the POI as compared to the base year.

Details of inventory (unit in MT) :

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Inventory	****	****	****	****
Inventory as a % of sales	8.93	3.85	2.29	7.47

RETURN ON INVESTMENT

95. Due to depressed prices, the domestic industry is incurring losses on its investment and currently, running its operation at losses and having a negative return on investment. However, losses has come

down after imposition of Antidumping Duty. However, given the excess capacity of the exporters in the subject country and given their strong export orientation and low domestic sale, it appears likely that if Anti-dumping duty is withdrawn, the domestic industry would increase the losses and return on investment will be adversely affected.

WAGES:

96. It has been observed that number of employees during the POI have increased in order to meet the increased production. However wages per unit Metric have reduced on account of increased production.

Details of wages:

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Employees (Nos.)	****	****	****	****
Indexed	100	134	200	200
Wages per MT	****	****	****	****
Indexed	100	37.25	27.29	22.74

ABILITY TO RAISE THE CAPITAL INVESTMENT

97. The demand of the PHPG Dane Salt in India is more than the existing capacity of the domestic industry and domestic industry could cater to entire demand of the domestic market by debottle-necking of existing capacities through support of the parent company. However, due to dumped imports from the subject country at unreasonable prices, the domestic industry may not in position to raise the capital from the market for this purpose.

EMPLOYMENT (EMPLOYMENT LEVELS, LAY-OFF OF EMPLOYEES DUE TO INCREASED ALLEGED DUMPED IMPORTS):

98. The numbers of employees of the company dedicated for this product has changed (increased) significantly since last 3 years due to the fact that production of the company have increased and capacity has been added.

EVIDENCE OF LOST CONTRACTS OR DECLINING SALES:

99. It has been submitted that because of the sharp price fall in export prices, the importers are forcing the domestic industry to match the

imported prices. It has been further submitted that domestic industry is not in a position to provide the subject material at such a low price, and by selling at such low prices, DOL cannot even recover the marginal cost, resulting in loss of customers. Indeed, such a situation is highly likely given the losses suffered by the domestic industry.

PROFITABILITY (HISTORY OF PROFIT LEVELS FOR THE PETITIONER(S) AND INDUSTRY):

100. As mentioned earlier domestic industry is operating at loss from its beginning itself. Though, volumes have increased, on the price front domestic industry has not gained at all and the company is continuously incurring losses.

QUANTUM OF IMPORTS:

101. Quantum of imports have increased despite imposition of the Anti dumping duty. However, if the Anti-dumping duty is revoked, the quantum of imports might jump significantly as it was before the imposition of anti dumping duty. Dumped imports may further gain the market share.

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Imports MT				
Singapore	****	****	****	****
Index	100	62.50	73.63	103.74
Other Countries	****	****	****	****
Index	100	106.98	184.21	196.86
Total Imports	****	****	****	****
Index	100	85.68	131.28	152.29

Magnitude of Dumping

102. Magnitude of dumping as the indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that dumping margin determined against Singapore is substantial for the POI, even when the Antidumping Duty is in force.

PRODUCTION:

103. The production of the domestic industry before imposition of Anti dumping duty was very low. It increased after imposition of the anti dumping duty. However it has been submitted that the same would decline if anti dumping duty is withdrawn.

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Production of domestic industry MT	****	****	****	****
Trend	100	388.71	768.31	885.80

Growth

104. Most of the volume parameters indicate positive growth during the period under consideration. However, the price parameters show an adverse price effect. The Return on investment of the domestic industry continues in the negative zone all through the period of injury determination and so is the cash profit and profit of the company.

Recurrence of injury

105. The present investigations are the mid term review investigations initiated at the behest of the exporter. It is noted that recurrence of injury to the domestic industry is required to be examined in the context of the requirements under Mid Term Review. In this regard, domestic industry has submitted that the imports are already undercutting the prices of the domestic industry to a very significant extent and should the present duties be revoked, the extent of price undercutting would further increase, which would most likely result in further increased importance. Further, it is submitted that the performance of the domestic industry was already adverse during the period under consideration and it is likely that without anti dumping measures in place, considerable increased volumes of the product concerned would be shipped in the Indian market at very low prices, undercutting the domestic industry prices.

106. The matter has been examined and it is noted that the domestic industry is already suffering injury as a result of dumped imports from China and removal of present Anti dumping duty would cause a further price depression on the Indian market, as the domestic industry has no other option but first to try to maintain its market share rather than reduce its production. This would in turn further erode the profitability of the domestic industry. The domestic industry could be even forced out of the market. Though there is no current price undercutting from the subject country during the POI (it remained significant during the earlier injury period), this could be understood because of the fact that the domestic industries prices were already suppressed.

107. It is noted that the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing

country. However, given that the present investigation is mid term review what is relevant to examine here is whether the imports at dumped prices would continue in significant volume in the event of revocation of Anti-dumping duty and injure the domestic industry. In this instant case, the exporter has a huge capacity for the production of subject goods in their country and also they do not have substantial domestic sales of the subject goods and exports to India comprises a small fraction of the their total production and sales. On the basis of the foregoing, it is considered that there exists a strong possibility of continuation of injury on account of dumped imports from the subject country.

Conclusions on injury

108. Article 3.1 of the ADA and Annexure-II of the A.D. Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The Authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing country. However, given that the present investigation is mid term review for continuation of existing Antidumping duty, what is relevant to examine here is whether the imports at dumped prices would continue in significant volume in the event of revocation of Anti-dumping duty. This is the most likely situation given the surplus capacity with exporter from Singapore in view of little domestic sale of the subject material in the domestic market. The performance of the domestic industry over the past has been such that revocation of Anti dumping duty would result adversely to the domestic industry. This is more than evident from a number of economic parameters relating to the domestic industry with regard to situation of the domestic industry over the period. With regard to Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales, it is seen that the these parameters have not shown an adverse trend during the POI as compared to previous years in view of the fact that the base year happens to be the year when the domestic industry appeared to have stabilized the production. However, the domestic selling prices continue to be depressed during the period under injury examination and the price underselling remains substantial during the POI in spite of the fact that anti dumping duty is in force. The dumping margin from the subject country remains positive and is considered significant. Further, based on the parameters examined, there is a strong likelihood of continued dumping should anti dumping measures be withdrawn. It has been added that the present review being Mid Term Review investigations, what is more relevant to examine is whether revocation of present Anti dumping duties would potentially

result in decline in sales volumes. Domestic industry submits, in this regard, given the level of existing price depression and suppression, the domestic industry would be faced with significant loss of sales volumes (if the domestic selling price is increased) or losses (if the prices remain at this level) , should the present Anti dumping duties be revoked. The Authority has examined the injury parameters concerning domestic industry. It is seen that before the imposition of Anti dumping duty, the capacity utilization for the domestic industry was only 32%, however, after imposition of the Anti dumping duty capacity utilization during POI has increased up to 100% on the enhanced installed capacity. With regard to the prices, it may be seen that the selling price of the domestic industry has continuously declined. The decline in the prices is significant. It is argued that the domestic industry is exporting the product at lower prices. However, domestic industry contends that it has been compelled to export only because of presence of dumped imports in the country. Export volumes of the domestic industry is far lower than the import volumes in the country. Given that the domestic industry is finding it difficult to sell the subject goods in the domestic market, there may not be any other for the domestic industry other than to export the material at whatever prices it can get. With regard to the profitability, after the imposition of Anti dumping , the domestic industry has reduced its losses compared to earlier years as the production has increased resulting into normation of the fixed cost on higher production, which in turn has resulted in the lower cost of production. However, it is noted that if Anti dumping duty were to be withdrawn, losses would further increase, due to still lower sales realization on account of dumped imports. It will further result into higher production cost and as a consequence more losses to the domestic industry. With regard to the cash flow, it is contended that domestic industry is a multi product company and impact of dumping on the cash flow situation of the domestic industry or impact of revocation of duty on cash flow may not be directly visible in the cash flow of the domestic industry. However, cash profits situation of the domestic industry would have direct impact on cash flow situation. It is examined that cash profits of the domestic industry have shown very significant deterioration over the injury period. As already stated , the exporter from Singapore is exporting the subject material at dumped price, which is compelling the domestic industry to reduce its prices to match the export price and in turn, resulting into losses to the domestic industry. If the anti dumping duty is withdrawn, the volume gained by the domestic industry so far will be lost and in addition to suppressed prices, this will result into the huge financial losses to the domestic industry. A perusal of data compiled from exporters record clearly demonstrates that landed prices of imports (without the Anti dumping duty) are significantly low as compared to non-injurious price. The domestic industry is thus forced to sell the subject goods well below the non-injurious price in the domestic

market. Thus, on the basis of the above examination, it is held that domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from subject country and injury is likely to continue if anti dumping duty from subject country is withdrawn

109. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

(a) The subject goods have been exported to India from the Singapore below its normal value resulting into dumping and there is a likelihood of continued dumping of subject goods from Singapore if anti dumping duty from subject country is withdrawn.

(b) The Domestic Industry continues to suffer material injury on account of the dumped imports of the subject goods from Singapore.

(c) The Authority considers it appropriate that anti dumping duties is required to be continued as modified in respect of imports from Singapore, as withdrawal thereof would lead to continuation of dumping and injury

110. The Authority therefore considers it appropriate to recommend the continuation of anti-dumping duty on imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt (PHPG Dane Salt). The amount of anti-dumping duty shall be equal to the margin of dumping or margin of injury, whichever is less and which if levied would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed price of imports has been compared with the non-injurious selling price of the domestic industry determined for the period of investigation. The anti dumping duty shall be the difference between the amounts mentioned in column 9 below and the landed value of imports in US$/Kg provided the landed price per Kg is less than the amount specified in the column 9 below.

S. No	Sub-Heading	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2942.00	PHPG Dane Salt	All grades	Singapore	Any Country	Any Producer	Any Exporter	9.13	Kg	US$
2	2942.00	PHPG Dane Salt	All grades	Any Country	Singapore	Any Producer	Any Exporter	9.13	Kg	US$

111. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

112. An appeal against the order of Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Addl. Secy. & Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.